राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, दिनांक ७ अक्टूबर, १६५२

सदन का कार्य ८ बज कर ३७ मिनट पर प्रारम्भ हुआ ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

नये सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

श्री अध्यक्ष:—मैं सदन को सूचित करता हूं कि विधान सभा के अन्तर्सत्र (इन्टरसेशन) काल में निम्नलिखित सदस्यों ने, जो कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में आये हुए सप्तम प्रपत्र के अनुसार निर्धारित शपथ अथवा प्रतिज्ञान ले लिया है:—

(१) श्री बीरेन्द्रसिंह

(२) श्री एच० के० व्यास ।

वे अब सचिव की मेज के निकट आकर सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर करेंगे । (हस्ताक्षर करना)

श्री अध्यक्ष:—मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि श्री चांदमल मेहता ने किशनगढ़ कोन्स्टिटिचुएन्सी से त्याग पत्र दे दिया है और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की पूर्ति श्री जयनारायण व्यास के निर्वाचन से हुई है ।

वे सदस्य जिन्होंने अभी तक निर्धारित शपथ अथवा प्रतिज्ञान न लिया हो अथवा न ग्रहण किया हो अब ऐसा करेंगे तथा सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर करेंगे ।

श्री मन्शाराम (सेक्रेट्री)—श्री जयनारायण व्यास

(श्री जयनारायण व्यास ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण किया और नामावली पर हस्ताक्षर किये ।)

श्री अध्यक्ष:—जो कार्यक्रम की सूची माननीय सदस्यों के पास भेजी गई है उसके अनुसार और नियमों के अनुसार पहला एक घन्टा प्रश्नों के उत्तर के लिये निर्धारित है किन्तु प्रेस की कुछ गफलत की वजह से व प्रश्नों के पहुंचने की देरी से प्रश्न, पहले लेने के बजाय, ११॥ बज से शुरू किये जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष-नेक्स्ट

सचिव द्वारा उन विधेयकों का विवरण प्रस्तुत करना जिनके पारित होने की अनुज्ञा राष्ट्रपति अथवा श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा हुई।

श्री मंशाराम (सेक्रेट्री):-श्रीमान् मैं मेज पर उन विधेयकों को बतलाने वाला विवरण रखता हूं जो आय-व्ययक सत्र में विधान सभा द्वारा पारित (पास) हो गए तथा या तो उन पर राष्ट्रपति द्वारा या श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा अनुज्ञा प्राप्त हो गई है।

विवरण

भाग (अ)

राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञा प्राप्त विधेयक

(१) राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (संशोधन) विधेयक, १९५२

(२) राजस्थान अकाल कार्यवाहियें स्थगित करने का विधेयक, १९५२

भाग (आ)

श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा अनुज्ञा प्राप्त विधेयक

(१) राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२।

(२) बीकानेर नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९५२।

(३) राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक, १९५२।

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या ४)विधेयक, १९५२।

(५) राजस्थान कृषक संरक्षण अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, १९५२।

(६) राजस्थान कृषि भाटक नियन्त्रण विधेयक, १९५२।

विधान कार्य

श्री अध्यक्ष:-अब विधान कार्य होगा।

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल।

विधान काय

(क) पुरः स्थापित होने वाले विधेयक

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--वे आरहे हैं।

श्री जसवन्तसिंह:--अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि संसार की विधान सभाओं का नियम है मन्त्री महोदय को ठीक समय पर उपस्थित रहना चाहिये। यदि हमारी विधान सभा दुनियां की सभी विधान सभाओं से निराली हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन किसी भी मंत्री के नाम कोई भी कार्य रखा जावे और वे हाजिर नहीं हो सकें तो उसके लिये दूसरा प्रबन्ध करना चहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनका हाउस के प्रति यह रुख ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में आप कहें तो मैं ऐसे उदाहरण बतला सकता हूं जहां पर मंत्रियों को माफी मांगनी पड़ी है।

श्री रामकिशोर व्यास:—सर आई बेग टू इन्ट्रोड्यूस ए बिल टू वेलीडेट सरटन लाज ओफ दी फोरमर इन्डियन स्टेट ओफ जयपुर इन राजस्थान (अर्थात राजस्थान में पूर्व भारतीय रियासत जयपुर की कुछ विधियों को मान्यता देने वाला विधेयक पुरः स्थापित करता हूं)

Mr. Speaker:—Next

Shri Ram Kishore Vyas:—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce a Bill to validate certain laws of the former Indian State of Jaipur in Rajasthan.

Mr. Speaker:—Next.

Shri Ram Kishore Vays:—Sir, I beg to introduce the Rajasthan Laws (Application to Sirohi) Bill, 1952 (मैं राजस्थान की कुछ विधियों (कानूनों) को सिरोही में लागू करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं)।

(Pause).

Shri H. K. Vyas:—Is it permissible to introduce an incomplete Bill in the House ?

A Member:—Not audible.

श्री रामकिशोर व्यास:-यह कन्सीडरेशन के वक्त की बात है जो आप फरमा रहे हैं।

Shri H. K. Vyas:—Whether it is permissible for an Hon'ble Member to introduce an incomplete Bill in the House ?

Mr. Speaker:—The question is vague.

Shri H. K. Vyas:–In Clause 3 of this Bill, a reference has been made to certain Rajasthan Laws specified in the Schedule to this Act. In the entire Bill there is no schedule at all as far as copies to ushave been supplied. That is the reason why I suggest that it isan incomplete Bill and therefore my question is whether it is permissible to introduce an incomplete Bill in the House ?

Mr. Speaker:–What is the exact point ? You are referring to the Sirohi Laws ?

Shri H. K. Vyas:–The point is this, Sir, that there is a reference to certain Rajasthan Laws which will now apply to Sirohi, and those Laws are supposed to have been specified in the Schedule to this Bill. But there is no schedule to the Bill. Thus the Bill is entirely incomplete. That is my point.

Shri Ram Kishore Vyas:–The objection that has been raised about the schedule is correct. That is due to the mistake of the Press. The Bill may be considered when the mistake has been rectified. यह जो आपत्ति इस विधेयक के बारे में की गई है कि इसके साथ शिड्यूल नहीं है, यह बात सही है। यह प्रेस की गल्ती की वजह से रह गया है।

Mr. Speaker:—Shri Tika Ram Paliwal.

Shri Tika Ram Paliwal: I beg to introduce a Bill to provide for certain special measures to prevent activities prejudicial to the security of the State.

One Member:—The speeches are not audible.

Shri Tika Ram Paliwal:–(loudly) I beg to introduce a Bill to provide for certain special measures to prevent activities prejudicial to the security of the State.

श्री अध्यक्ष:–जो माननीय सदस्य बोलने के लिये ज्यों ही खड़े हों दो तीन सैकेंड में स्विच ओन कर दिया जायगा।

Shri H. K.Vyas:–Mr. Speaker, Sir, I want your permission, Sir, to make a statement in oppos tion to the leave to introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष:–The Bill has already been introduced and that Stage in not now here.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया तो फिर ऐसी हालत में हमारे यहां मौजूद रहने की आवश्यकता ही क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–सुने जाने के बजाय पेश किया जाना लाजिमी है ।

(Pause)

Mr. Speaker:—Next.

Shri Mohanlal Sukhadia:—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce a Bill to consolidate and amend the law for the compulsory acquisition of land in Rajasthan.

(Pause)

Mr. Speaker.—Next Shri Tika Ram Paliwal No. 4 was omitted.

Shri Tika Ram Paliwal: – Mr. Speaker, Sir. I beg to introduce a Bill to provide for adoption of Hindi as the language to be used for the official purposes of the State.

Shri Man Singh: —We cannot hear as to what is going on in the House.

Mr. Speaker:-Necessary arangements will be made in this connection (Pause)

Next.

Shri Ram Kishore Vyas:-Sir. I beg to introduce the Marwar Pure Food (Amendment) Bill. 1952 before the House.

(Pause)

Mr. Speaker:—Next.

Shri Bholanath:—Mr. Speaker, I beg to introduce the Stamp Law (Adatation) Bill, 1952.

Mr. Speaker:—Next.

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री):–माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीज) अधिनियम (अन्तर्ग्रहण) अध्यादेश, १९५० में और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

Mr. Speaker:—Next.

(ख) प्रवर समिति के ४ प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

Shri Gulad Chand Kasaliwal:—Mr. Speaker, Sir, I beg to present the Preliminary Report of the Select Committee on the Bill to provide for levy of tax on agricultural income derived from land situated in the state of Rajasthan. The report is as under:—

"Shri V. Narayanan, Additional Chief Secretary to the Government of Rajasthan was called as a witness to enlighten the Committee on the financial aspect of the Bill. We have now the honour to submit this our preliminary report.

"The Committee have considered Clause 2 to the end of the Bill. Excepting clause 4 together with an amendment proposed thereto and Chapter X comprising Clauses 75 to 78 (both inclusive) with the amendment to delete them, as well as part II of the Schedule. all the provisions of the Bill were passed some with minor changes.

"It was considered necessary to obtain information, from other States in India where agricultural income-tax is levied, on the point of income derived from the sale of livestock is treated within the scope of agricultural income and taxed under similar provisions. As it would take some time it was considered proper to adjourn the final consideration of the Bill to a later date and submit this as our preliminary report.

"The Bill was published in the Rajasthan Rajpatra Part III Extraordinary dated 24-4-1952. The Committee does not consider it necessary to republish the Bill at this stage."

(Pause)

Mr. Speaker:— Next.

Shri Amritlal Yadav:–Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to consolidate the law relating to forests, the transit of forest produce and the duty leviable on timber and other forest produce.

(Pause)

Mr. Speaker:—Next.

Shri Mohanlal Sukhadia:–Mr. Speaker, Sir. I beg to present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the construction, improvement and maintenance of minor irrigation works in Rajasthan.

श्री देवीसिंह:–अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कह रहे हैं वह सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष:–आपके पास एजेन्डा (कार्य सूची) पहुंच गया है यह उसी की पुनरावृत्ति है।

Shri Amritlal Yadav:-Mr. Speaker, I present the Report of the Select Committee on the Bill to consolidate and amend the law relating to Co-operative Societies in Rajasthan.

श्री जसवन्तसिंह:-ओन दी पोइन्ट ओफ ओर्डर सर,

अभी श्री कासलीवालजी ने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने पढ़ी थी जहां तक मुझे रूल्स की वाकिफयत है या थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे कहीं देखने या सुनने में नहीं आया कि कहीं भी इस प्रकार से हाउस के सामने रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई जाती हो। क्या किसी खास सूरत में इसे पढ़कर सुनाया गया या कहीं से नया कायदा निकाला गया है जिसकी वजह से इसे पढ़कर यहां सुनाया गया।

श्री जयनारायण व्यास:-ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर।

अभी माननीय सदस्य ने इस संबन्ध में जो आपत्ति उठाई है मुझे यह कहना है कि माननीय कासलीवालजी की रिपोर्ट के बाद में दूसरी रिपोर्टें पेश की जा चुकी हैं। जो बात पहले हो चुकी है, चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से क्या बाद में फिर उसके बारे में कोई आपत्ति उठाई जा सकती है?

श्री जसवन्तसिंह:--मैंने इस बारे में पोइन्ट ओफ ओर्डर पेश किया है। जब तक कोई फैसला न हो जाय तब तक कोई दूसरे सज्जन कैसे बोल सकते हैं?

Shri Jai Narain Vyas:-I can say that no point of order can be raised on a question which is not on the floor of the House. Only when a question is on the floor of the House, a point of order can be raised. No discussion can be made when it is not on the floor of the House.

श्री हरिदत्त:--जो बात एजेन्डा से अलहदा है उस पर क्यों बहस की जाय?

श्री अध्यक्ष:-ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्यों को चाहिये कि जिस बात के ऊपर मैंने रूलिंग दे दिया है उस पर वे रोशनी नहीं डालें। आप देखेंगे कि रूल्स ओफ प्रोसीजर की जो प्रति आपके पास पहुंची है उसके अनुसार प्रायर पब्लिकेशन (पूर्व प्रकाशन) के बाद लीव टू इन्ट्रोड्यूज या इन्ट्रोडक्शन के अवसर पर आपत्ति करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

Shri Indra Nath Modi:— On a point of information, Sir. As the point under consideration is one of the privileges of the House I would like to say a few words myself. A little while ago when an Hon'ble Member opposed the leave to introduce a certain Bill, if I may say without any disrespect, the objection was almost let off unheard. At any rate, no effect was given to it. Now, I do notc laim to be a great Parliamentarian in this House and I think we all are students in parliamentary

practice and procedure. I do recognise that there are a few others who have greater experience, but I do belive that we are entitled to raise the point.

Mr. Speaker:—Order, Order, when a question of leave to introduce a Bill is in operation there is no question to oppose the Bill at that stage. Next

Mr. Shri Indra Nath Modi:-On a point of Order, Sir. I think as far as proceedings before the House go, only leave to introduce the Bill was being sought in this House. Therefore will it.... (Interruption).

Mr. Speaker:—No. The Rule is already there and the wordings of Rule 120 are very clear.

Shri H. K. Vyas:—Will the Speaker let us know at what stage opposition to leave to introduce a motion under Rule 119 can be made ?

Mr. Speaker:—Rule 119 is superseded by Rule 120. There is no ocoasion to oppose the Bill at the introduction stage when section 120 is not in operation. (Pause)

Next.

(ग) प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि

Shri Bhola Nath:—Mr. Speaker, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the State of Rajasthan be extended upto the 17th October 1952.

श्री जसवन्तसिंह:—विरोधी दल को एक आपत्ति पैदा हो गई है....

श्री अध्यक्ष—Let me decide this point first.

(विराम)

The question is whether the time be extended for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the State of Rajasthan upto 17th October 1952.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री जसवन्तसिंह:-हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस सदन की जो प्रिविलेजेज हैं अमुल्य प्रिविलेजेज हे उन पर कुठाराघात हो रहा है। कितना भी बड़ा अफसर या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर या अध्यक्ष चाहे खुद क्यों न हो उन सबको इस सदन ने ताकत दी है। सदस्यों की प्रिविलेजेज पर अगर कोई भी कुठाराघात करेगा तो हमें उस पर आपत्ति है। पोइन्ट ओफ ओर्डर पर खड़ा होने के लिये इस सदन के हर एक माननीय सदस्य को हक है और यह उनकी एक अमूल्य प्रिविलेज है। अगर पोइन्ट आफ ओर्डर उठाने की हमें इजाजत नहीं दी जायगी तो हम यह समझेंगे कि हमारे हाउस के अमूल्य हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष:--में नहीं समझता कि ऐसी कोई बात सदन में हुई है। लेकिन जहां तक इस कमेटी में जो रूल्स बनाये गये हैं वे इस सदन की एक कमेटी द्वारा ही बनाये गये हैं। उसकी सिफारिश से जो नियम और उपनियम हमने बनाये हैं उनकी पाबन्दी करना और कराना इस सदन के सारे सदस्यों का काम है। अगर विवाद के लिये कोई सदस्य खड़ा होना चाहे और जो निर्णय इस चेयर से दिया जाय, में समझता हूं कि वह सारे हाउस की प्रिविलेज है। जो निर्णय में दूंगा वह निर्णय नियमों के अन्तर्गत ही दूंगा। उनको मानना और उनका पालन करना सदस्यों का कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में सब ही सदस्य मेरी सहायता करेंगे। मेरा कोई भेदभाव नहीं है। आपके जो अधिकार हैं उनका मैं अपहरण नहीं करना चाहता किन्तु जहां तक पिष्टपेषण का सवाल आता है, निर्णय किये हुए प्रश्नों को दुबारा खोलने का प्रश्न आता है, हाउस को उनका निर्णय करना होगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-आपने जो कुछ आदेश दिये वे हमें शिरोधार्य हैं। लेकिन आज की जो स्थिति हमारे सामने पैदा हो रही है उससे कुछ गलत फहमी पैदा हो सकती है और इस लिये हमारा भी यह कर्तव्य है कि हाउस में जो बात हुई है उस सम्बन्ध में हम अपनी स्थिति को साफ तौर से रख दें। हम जो कुछ बात आपके समक्ष निवेदन करना चाहते हैं वह इसलिये नहीं की विरोध के लिये कोई विरोध किया जाय या किसी भी बात का पिष्टपेषण किया जाय, लेकिन जिन नियमों का आप हवाला दे रहे हैं उन नियमों के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। हो सकता है कि हमारा इन्टरप्रिटेशन गलत हो और उसका सही इन्टरप्रिटेशन दूसरा हो। हम चाहते हैं कि उसे हम आपसे समझें। यहां हमारे सामने जो प्रश्न पैदा हुआ वह एक बिल के इन्ट्रोडयूस करने के सम्बन्ध में हुआ। एक हमारे माननीय मित्र जो हाल ही में इस हाउस के मेम्बर हुए हैं, उस बिल पर ऐतराज करना चाहते थे कि उस बिल को इन्ट्रोडयूस करने की इजाजत नहीं दी जाय। मेरी नाकिस राय में उनका यह हक था।

दफा १२० का हवाला दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से उसका यह मतलब नहीं है और न हो ही सकता है। माननीय अध्यक्ष का ख्याल है कि वह ऐतराज इस समय पेश नहीं किया जा सकता। दफा १२० व १२१ पब्लिकेशन से ताल्लुक रखते हैं। बिलों के पब्लिकेशन आपकी इजाजत से इस सदन में प्रस्तुत करने के पहले ही किये जा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया हो तो हाउस में प्रस्तुत करने के बाद में उनका किया जाना चाहिये। दफा १२० व १२१ के मातहत

हाउस में लीव टू इन्ट्रोडच्यूस के मांगे जाने के समय कोई एतराज पेश किया जाय तो वह एतराज नहीं हो सकता । यह हमारी दलील सही नहीं मालूम पड़ती । इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि यह सवाल हाउस के प्रिविलेजेज का सवाल है और व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है । दफा ११९ इस सम्बन्ध में स्पष्ट है जो इस प्रकार है:-

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may put the question without further debate"

मेरा निवेदन करने का यह मतलब है कि "लीव टू इन्ट्रोडच्यूस" की इजाजत देने के पहले इस हाउस की राय लेना भी जरूरी है । जहां तक मैं समझता हूं इस सवाल को नहीं रखा गया कि "लीव टू इन्ट्रोडच्यूस" दी जाय या नहीं । जब तक यह इजाजत दी जाय हर मेम्बर को हक है कि वह अपना ऐतराज पेश करे और उसको सुना जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस बड़े मामले में इतनी शीघ्रता से क्यों निर्णय लिया जाय । हममें इतनी योग्यता नहीं कि इस प्रकार तेजी से काम हो रहा है उसको ठीक समझ सकें । किसी महत्व पूर्ण मामले में जब हमारे दिमाग में सन्देह होता है तो हम उसको आपके पास पेश करना उचित समझते हैं और आशा करते हैं कि आप सब सोच कर रूलिंग दें ताकि हाउस में जो कार्यवाही हो उसमें कोई न्यूनता न रहे । जहां तक अधिकारों का सम्बन्ध है, प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि यह "लीव टू इन्ट्रोड्यूस" मांगी जाने के समय किसी भी बिल को ओपोज करे । हमें यह बतलाया गया है कि ऐसा ओपोजिशन नहीं किया जा सकता । मेरा नम्र प्रश्न है कि यह बात कहां तक ठीक है कि इस प्रकार का विरोध नहीं किया जा सकता? मुझे अफशोस है कि मुझे गलत समझा गया । सवाल कायदे का है और उसे हमें समझना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष:-Your point is clear.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--अगर आप चाहें कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूं; तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रश्न जानना चाहता हूं कि यह रूल्स जो बनाये गये हैं उन्हें इस हाउस के सामने विचारार्थ रखा जावेगा या नहीं ताकि इसमें जो कुछ गलतियां हैं उनको हम दुरुस्त कर सकें ।

श्री हरीकिशन व्यास:-माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न इजाजत मांगने का है । यह बात सही है कि जैसा कि आप न फरमाया मैं इस बात को मानने को

तैयार हूं । कानून और हाउस के तरीके के बारे में धारा १२० में जो अधिकार दिया गया है वह इस प्रकार है:-

धारा १२०

"The Speaker on a request being made to him may order the publication of any Bill (together with the Statement of Objects and Reasons and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case it shall not be necessary to move for leave to introduce the bill, and if the bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again."

अधिकार यह है कि अगर पब्लिकेशन हो जायगा तो आप चाहें तो इजाजत मांगें और चाहें तो इजाजत नहीं मांगें लेकिन इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है । जब बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत मांगी गई, तो ११९ लागू हो जाता है । यह इजाजत मांगने के बाद सभापति प्रश्न पूछते हैं; वह प्रश्न हाउस से पूछा जाता है । इजाजत मांगने का और प्रश्न पूछने का. दरमियानी समय ऐसा है जिसमें इजाजत देने का कोई विरोध करना चाहे तो उसे विरोध करने की इजाजत दी जाती है । मैं आपका ध्यान पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि प्रिवेन्शन ऑफ डीटेन्शन एक्ट की जब इजाजत मांगी गई तब बिल के विरोध में कहने की किसी को इजाजत नहीं दी गई । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि जो बिल पेश करने की इजाजत मांगी जावे उस वक्त सभापतिजी को पूछना चाहिये "हां" या "ना" । इजाजत मांगने से लगाकर प्रश्न पूछने तक जो कोई विरोध करना चाहे उसे मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक देखता हूं रूल ११९ और १२० मुझे बहुत साफ मालूम देते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह उस समय आता है जब बिल का प्रिवियस पब्लिकेशन होने को हो । यह सही है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है । जब कि बिलका प्रीवियस पब्लिकेशन हो चुका है उसको सिर्फ इन्ट्रोड्यूस किया जा सकता है......

श्री कानसिंह:--अध्यक्ष महोदय, जो यह नया सिस्टम लाउड स्पीकरों का किया गया है उससे हम न तो माननीय मंत्रियों को सुन सकते हैं और न वे हमको सुन सकते हैं । क्या यह इसलिये किया गया है कि सरकार चुपचाप बिल पास करवा ले ?

श्री अध्यक्ष:--नये इन्तजाम से माननीय सदस्यों को सम्भवत: थोड़ी बहुत सुविधा हो रही होगी। फिर भी उसको सहन करके आप थोड़ा ध्यान इस तरफ देंगे और ध्यान से सुनेंगे तो सुनने में आ जायगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल:--मैं निवेदन कर रहा था रूल ११९ और १२० का इन्टरप्रेटेशन का जहां तक सवाल है रूल १२० उस समय लागू होता है जब

किसी बिल का प्रीवियस पब्लिकेशन हो चुका हो और उसको हाउस में इन्ट्रोडयूस किये जाने की मन्शा हो। आम तौर पर जिन बिल्स को पबलिश नहीं किया जाता है उनको हाउस में इन्ट्रोडयूस करने से पहले हाउस से इजाजत ली जाती है तो वह रूल ११९ होता है। जब बिल का पब्लिकेशन हो गया तब तो धारा १२० के अनुसार इजाजत देने की जरूरत नहीं। इस समय एक माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया कि बिल के इन्ट्रोडयूस करने की इजाजत लेना जरूरी है। इस सम्बन्ध में जब इन्ट्रोडयूस करने की इजाजत चाहते हैं तो फिर ११९ वापिस लागू होता है, मेरा ऐसा खयाल है। मुझे अपने बारे में ठीक मालूम है किसी ने इजाजत मांगी नहीं; उसकी जरूरत भी नहीं थी। यह जानते हुए कि जब इजाजत की जरूरत नहीं तो वे इजाजत क्यों मांगते? "आई इन्ट्रोडयूस दी बिल" यहां तक तो १२० लागू रहता है, ११९ तक जाने की जरूरत आती ही नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:- कोई इजाजत मांग ली गई तो उसका क्या होता है?

श्री टीकाराम पालीवाल:- मैंने इजाजत नहीं मांगी।

श्री रामकिशोर व्यास:- और किसने मांगी थी?

श्री टीकाराम पालीवाल: -जब इजाजत मांगी गई थी उस वक्त प्रश्न उठाया जाना चाहिये था।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–उस वक्त उठाया गया था आप तब तक नहीं आये थे।

श्री अध्यक्ष:--जो पाइन्ट आफ ऑर्डर, प्रश्न या सन्देह माननीय सदस्यों ने उठाया है, वह निर्मूल है। एक सदस्य को तो पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर के बारे में भी कुछ सन्देह है। बिल को इन्ट्रोडयूस करने की स्टेजेज भिन्न भिन्न हैं। एक तो वह स्टेज होती है जब किसी बिल को इन्ट्रोडयूस करने की आज्ञा हाउस से प्राप्त की जाती है। उसके बाद जो सदस्य बिल पेश करते हैं वे सदन से उन बिलों को इन्ट्रोडयूस करने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा लेने के बाद वह बिल सदस्यों के सामने पेश किया जाता है। उस पर "हां" या "ना" का उत्तर लिया जाता है। उसके बाद बिल इन्ट्रोडयूस किया जाता है। इस वैधानिक कार्यवाही को कट शोर्ट करने के लिये एक प्रोसीजर दूसरा पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर में है और वह यह है कि कई विधान सभाओं के नियमोपनियमों में प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि बिल को इन्ट्रोडयूस किये बगैर उनका राजपत्र के अन्दर प्रायर पब्लिकेशन (prior publication) करादें। यह ऐसा है कि वह अधिकार सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है जैसा कि अपने यहां के रूल १२० में है।

जब पहले पब्लिकेशन हो जाता है, पूर्व प्रकाशन हो जाता है, तो उस

हालत में सदन से इन्ट्रोडयूस की आज्ञा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि धारा १२० में कहा गया है जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"The Speaker on a request being made to him may order the publication of any Bill (together with the Statement of Objects and Reasons and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case it shall not be necessary to move for leave to introduce the bill, and if the bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again."

तो इस पर लीव नहीं मांगी गई। बिल के लिए सिर्फ इतना कहा गया कि "आई बेग टू इन्ट्रोडयूस दी बिल"; लीव नहीं मांगी थी। जब कि बिल इन्ट्रोडयूस किया जाता है उस हालत में प्रथम स्टेज है; वह पास हो जाता है—तो उस पर आब्जेक्शन करने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता; इसलिये जो यह आपत्ति उठाई गई है उसको मैं ओवर रूल करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो प्रश्न नियमोपनियम के बारे में किया था कि हाउस की स्वीकृति के लिये रखा जायगा या नहीं उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष:—यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, ऐसा है कि प्रथम सत्र में इस सदन क मिलने के पहले हमारे माननीय राजप्रमुख ने ईस्ट पंजाब लेजिस्लेटिव असेम्बली रूल्स को अडेप्ट (adapt) करके यहां लागू किये थे और उसमें ३१ मार्च, १९५२ को कुछ मोडीफिकेशन करके मैंने उसे लागू किया था। उसके बाद में इस सदन ने एक रूल्स कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्यों ने बैठकर कुछ निर्णय किये उन निर्णयों के अनुसार उन रूल्स में अमेन्डमेन्ट किया और ये नये रूल्स सदन के सामने आये हैं यह मैं बतला देना चाहता हूं कि यह टेम्परेरी हैं; जब तक कि यह सदन और कोई रूल्स नहीं बना लेती, इस सदन द्वारा वे पास नहीं हो जाते। आपको अधिकार है, अन्तिम अधिकार है और सर्वोपरी अधिकार है। सदन चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है यह विधान की धारा २०८ के अनुसार है। जब तक यह नहीं हो जाता तब तक के लिये धारा २३८ व २०८ के अन्तर्गत यह लागू किये गये हैं।

ये रूल्स सदन के सामने कब आयेंगे या विचारार्थ सदन में कब पेश होंगे इसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन चाहेगा तभी आसकते हैं; इस सेशन में भी आ सकते हैं या इसका अनुभव करके अगले सेशन में भी रखे जासकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह:—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

Mr. Speaker.—On a point of privilege ?

Shri Jaswant Singh.—No, on a point of information.

श्री जसवन्तसिंह:—मैं हाउस की जानकारी के लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह माइक्रोफोन का सिस्टम इस सदन में बदला गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि जो सिस्टम पिछले सेशन में था उससे ज्यादा असुविधा हम लोगों को हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आया यह सिस्टम कंपनी ने एक्सपेरीमेन्ट की तौर पर फ्री लगाया है या बिजलीघर विभाग ने राजस्थान की माली हालत खराब होते हुए भी पैसा लगाकर इसका प्रबन्ध किया है। अगर पैसा लगा कर इस प्रकार का इन्तजाम किया है तो यह असुविधा हमें बहुत महंगी मिली है। अध्यक्ष महोदय, क्या बिजली घर विभाग से इस बात की जानकारी करके सदन को इत्तिला देंगे ताकि हम यह जान सकें कि यह असुविधा हमने सस्ती खरीदी या महंगी ?

श्री अध्यक्ष:- मैं समझता हूं कि इस बारे में बहुत जल्दी की जा रही है। हम इसके लगाने के बाद पहले ही दिन मिले हैं। हमें इसको और ट्राई करना चाहिये और अगर ऐसा ही हुआ तो इसके बारे में उचित व्यवस्था की जावेगी।

श्री मानसिंह:—अध्यक्ष महोदय, हमको सुनाई नहीं देता है। अच्छा हो कि आप गद्दे पर बैठ जाएं और हम आपके पास, कुर्सियों पर न बैठ कर, नीचे बैठ जावें। क्या राजस्थान में ऐसा कोई इन्जीनियर नहीं है जो इस काम की व्यवस्था कर सके।

श्री भोलानाथ:—आपकी बातें तो हमें सुनाई दे रही है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर

श्री अध्यक्ष:—नेक्सट आइटम।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री हरिदेव जोशी:—अध्यक्ष महोदय,

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्ष महोदय, आप मुझे माफ करेंगे, मैं रुकावट डालने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं सिर्फ इस जानकारी के लिये कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिये कितना समय किस २ पार्टी को दिया जायगा और कितने दिन तक यह बहस होगी, खड़ा हुआ हूं। इसमें दोनों पार्टी के भाषण होंगे इसलिये यह प्रणाली हम पहले से तय कर लें कि कौन २ भाषण देंगे ? इसलिये कितना कितना किस पार्टी को समय दिया जायगा इसकी जानकारी हो तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष:—कौन २ बोलेंगे—इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं; लेकिन टाइम लिमिट की जो बात है वह नियमोपनियम में दी गई है औरदोनों पार्टीज के व्हिप्स(whips) अगर बोलने वालों की एग्रीड लिस्ट मुझे दे दें तो उसके

अनुसार जो यह वाद–विवाद होने जा रहा है, उसको ले लूं । दूसरी बात एजेन्डा के अन्दर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और श्री कुंवरसाहब ने भी देखा होगा, दो दिन निश्चित किये गये हैं यानि ता० ७ व ८। इस पर भी सदन यदि यह चाहेगा कि समय कम है तो मत परसों ले लिये जावेंगे और इसके बाद और घंटे एलोट किये जा सकेंगे। मैं समझता हूं कि सबसे पहले प्रस्तावक बोल लें और दोनों ओर के व्हिप्स (Whips) इस बारे में निर्णय कर लें तो ज्यादा उत्तम होगा ।

श्री अध्यक्ष:-Next item.

श्री भीमसिंह:--अध्यक्ष महोदय, पहले की तरह माइक्रोफोन लगा दिये जावें तो ज्यादा सुविधा होगी ।

श्री अध्यक्ष:–Don't be impatient (Pause) Yes, next item. Shri Hardeo Joshi.

श्री हरिदेव जोशी:-अध्यक्ष महोदय, कल श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण इस सदन के समक्ष दिया उस सिलसिले में मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि:–

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्रीमान्, हम दूसरी बार इस सदन में मिल रहे हैं। पहले अवसर पर श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण हमारे समक्ष दिया था उसमें उन्होंने इस प्रदेश के सिल सिले में उन समस्याओं को हल्का पाया जिनको इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अथवा हम सब जानते हैं । स्थिति यह थी कि उस समय हम पहली बार मिले थे और इस कारण अधिक घबराहट थी ।

किसी भी प्रदेश की समृद्धि और उन्नति के लिये यह आवश्यक होता है कि उसके अन्दर शान्ति और व्यवस्था कायम रहे; उसके नागरिकों का रहन सहन और उनको खाने पीने की सुविधा मिलती रहे तथा उनको उनका भविष्य कुछ आशाप्रद दिखाई देता रहे, मालूम होता रहे । अस्तु: किसी भी सरकार के लिये यह आवश्यक होता है कि वह सरकार वहां के नागरिकों को शांति और सुव्यवस्था की गारन्टी दे और उनके खानपान और जीवन के मान दंड को बनाये रखने के लिये उचित साधन हो; वहां के नागरिकों को यह अश्वासन मिलने चाहिये कि उनका भविष्य उज्ज्वल है ।

राजप्रमुख के पिछले भाषण में इन सारी समस्याओं पर आश्वासन दिये गये थे कि कुछ न कुछ किया जावेगा । अलबत्ता काफी बातों पर प्रकाश

डाला गया था। अब देखना यह है कि उन सारे प्रश्नों पर, जिन पर श्रीमन् राजप्रमुख ने प्रकाश डाला, किसो कदर हम आगे बढ़े हैं या नहीं।

सबसे पहले जैसा कि उन्होंने फरमाया, हम देखते हैं राजस्थान की शान्ति और व्यवस्था को। शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक वह समय था जब कि राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर हल्कों के हिस्सों के बारे में उपस्थित प्रत्येक पक्ष के व्यक्ति को चिन्ता थी और कहा गया था कि यदि वर्तमान सरकार शांन्ति और व्यवस्था को उचित ढंग से संभाल सकी तो सब से बड़ा काम और कौनसा होगा, इससे सरकार की सबसे बड़ी सफलता होगी। यदि यह ठीक ढंग से कहा गया था तो मैं यह कहूंगा कि मौजूदा सरकार इस विषय में सफल हुई है और यह उसकी सफलता का बहुत बड़ा प्रमाण है और इसके लिये हमें राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कृतज्ञ होना चाहिये। हम उन घटनाओं को नहीं भूल सकते जो जोधपुर और बीकानेर में हुआ करती थीं। पाबूदानसिंह और दूसरे डाकुओं के बारे में जो काम सरकार ने किये हैं क्या उन्हें भुलाया जा सकता है? पाबूदानसिंह व दूसरे डाकू जिनका नाम सुनकर राजस्थान के नागरिक थर्राते थे क्योंकि वे बड़े खूंख्वार डाकू थे। यह सत्य है कि डकैतियों में फर्क आया है। पिछले दिनों में एक छोर से दूसरे छोर तक पुलिस के कर्मचारियों व नागरिकों की सहायता से खुफिया पुलिस के जरिये से इन सारी चीजों पर काबू पाने की कोशिश की गई। राजस्थान में आज पहले जैसी स्थिति नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपका समय इस चीज पर ज्यादा नहीं लेना चाहता।

दूसरी स्थिति जो हमारे राजस्थान में है वह भोजन की है। पिछले दिनों राजस्थान और विशेष कर दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों में, जैसे बीकानेर, जोधपुर के क्षेत्रों में और दूसरे और भी कई क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। हमारे सामने उस समय अनाज की समस्या भी थी और हम लोगों में, राजस्थान के नागरिकों में, यह भावना थी—जहां का मैं निवासी हूं—दक्षिणी राजस्थान का, कि यह काल ५६ के काल के बराबर है। इसमें शक नहीं कि हमें काफी कठिन समय में से गुजरना पड़ा है और जो प्रयत्न किये गये हैं वे इतनी ईमानदारी से नहीं किये जाते तो नजारा कुछ और ही होता। हम देखते हैं कि नौहर और भादरा में काफी पशु मरे और बीकानेर और जोधपुर में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर भी राजस्थान की माली हालत को मद्देनजर रखते हुए जो प्रयत्न राजस्थान सरकार की ओर से किये गये हैं वे प्रशंसनीय हैं। अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। राजस्थान के जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी इस अकाल की समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। यहां के नागरिकों ने धन देकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है, हमें उनका भी आभारी होना चाहिए।

किसी भी मुल्क की तरक्की उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके जरियों को नहीं पनपाया जाय। राजस्थान कृषि प्रधान देश है। किसानों की तरक्की राजस्थान की तरक्की है, यहां के किसानों की बहतरी राजस्थान की बहतरी है।

जब तक यहां के किसानों को यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि वे दूसरे प्रदेशों के किसानों की तरह ऊंचा सिर करके चल सकेंगे तब तक वे तरक्की नहीं कर सकते। पिछले अधिवेशन में जब हम यहां इसी सदन में बैठे हुए थे तो हमने किसानों के लिए काफी कदम उठाये। इस सदन में और बाहर भी हमें इसके लिए काफी मोर्चे लेने पड़े हैं। इसके लिए हम नहीं भूल सकते कि काफी लोगों ने बलिदान दिये हैं। जनता के २ सेवक श्री करणी राम और रामकरण सिंह इसी संबन्ध में बलिदान हुए। यह परंपरा बलिदानों की–किसान भार से मुक्त नहीं हो जाय, तब तक चलती रहेगी। हमें सरकार और जन सेवकों के जरिये किसानों के भार को मिटाना पड़ेगा। हमने कानून बनाया है जागीर पुनर्ग्रहण का। इसमें शक नहीं कि वह कानून के रूप में स्वीकृत हो चुका है पर वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ और कब होगा यह विषय इस समय की चर्चा का नहीं। पर बहुत दिनों तक यह समस्या टाली नहीं जा सकेगी। मुमकिन है एक दिन, एक महीना, एक वर्ष और टले परन्तु एक समय आने वाला है जब कि राजस्थान की जनता, जो जागीरों के बोझ से दबी हुई है, इस बोझ से मुक्त हो जायगी।

सरकार ने कानून के जरिये किसानों को आश्वासन दिया है कि वे इस शोषण से मुक्त होंगे। हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान के किसानों का भविष्य उज्ज्वल है।

जहां तक हमारी दूसरी समस्याओं का प्रश्न है, उन समस्याओं का हल नहीं हुआ है। हमने जिस तरह जागीर उन्मूलन के सवाल को हाथ में लिया है उसी तरह खुद-काश्त का भी सवाल हाथ में लिया है। इन दोनों प्रश्नों को एक साथ समान रूप से हल किया जाय; इसके लिए एक कमेटी मुकर्रर की गई है जो इस सम्बन्ध में जांच कर रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने पर सरकार इस ओर कदम उठा सकेगी।

सबसे महत्व-पूर्ण प्रश्न हमारे सामने चंबल योजना का था। इसी हॉल में जो सभा हुई थी उसमें यह चिंता व्यक्त की गई थी कि राजस्थान को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। कई शिकायतें-शिकवे हुए थे। हम देखते हैं कि हमारी वह चीज पूरी हुई, अब हमें हमारा हिस्सा मिल गया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए, माननीय श्री काटजू को और दूसरों को, जिन्होंने यह हिस्सा हमें दिलवाया है। राजस्थान ऋणी रहेगा उनके प्रति जिन्होंने राजस्थान की इस सम्बन्ध में सहायता की है।

मैं समझता हूं कि जो समय अभी पिछले दिनों में बीता है इसका लेखा-जोखा करें तो हमें मालूम हो जायगा कि हमारे पास समय कम था और काम ज्यादा था, चीजें करने को बहुत थीं और पैसा नहीं था। पिछले बजट के अधिवेशन में यह शिकायत करने आये थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी ठीक वही स्थिति है, जो एक दुकानदार की होती है, जो कम पैसे से अधिक काम करता है। या तो उसे खींचातान करनी पड़ती है या वह उलझ जाता है। हमने खींचातान की है

एक सवाल हमारे सामने यह है कि हमारे राजस्थान प्रदेश का भविष्य क्या हो और यहां के निवासियों का स्तर किस प्रकार से ऊपर उठाया जाय? यहां जब प्रजातांत्रिक सरकार बनाई गई तो यह निश्चित है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं।

मेरे बाद में बोलनेवाले सज्जन यह सवाल ला सकते हैं कि आखिर वह कौनसी बात है जिसकी वजह से जो चीज हम आज करना चाहते हैं वह छः महीने बाद हम कर पाते हैं। वे कहेंगे कि आपके ख्यालात ऊंचे जरूर हैं और आप कुछ करना चाहते हैं पर वह नहीं हो पाता। यह मैं निश्चितरूप से मानता हूं और इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक हमारी सरकार की स्थिति है और जहां तक हमारे प्रयत्नों का सवाल है इस सम्बन्ध में हमें देखकर चलना पड़ेगा। हम यह मानते हैं कि जो शासन इस सरकार के हाथ में आया वह उखड़ा-पिछड़ा और विवादास्पद स्थिति में मिला था। यह मकान एक ऐसा बना हुआ था जिसकी दीवारें ढहने को थीं। हमें इसकी नींव मजबूत करके नये सिरे से इसे तैयार करना था। कोई नहीं जानता था कि इसका नक्शा किस तरह का होना चाहिये। विचार करने के बाद हम यह सोच सके हैं कि जो समय राजस्थान की तरक्की व बहतरी के लिये लिया जा रहा है वह समय ज्यादा नहीं है। राजस्थान एक सामन्तवादी तत्वों के पंजे से निकला हुआ प्रदेश है जिस के बारे में हमें सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। इसमें शक नहीं कि यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात के लिये आमादा हैं कि जो शान्ति व्यवस्था की जा रही है, उसमें रोड़े अटकावें। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमने सम्मिलित प्रयत्न किया, जैसा कि अब तक किया गया है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे यहां भी पार्ट 'ए' स्टेट्स के समान ही शान्ति कायम हो जाएगी। एक चर्चा जागीर एबोलिशन की थी। इस समस्या को म्युचुअल अंडरस्टेन्डिंग (आपसी समझौता) से हल करके आगे बढ़ें। हम चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, हमें इस प्रदेश की उन्नति के लिये एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, इस बात का कि हम क्या क्या काम करना चाहते हैं? यदि हम सब लोग मिल कर हल करेंगे तो सरकार के प्रयत्नों को भी बल मिलेगा। हमने कई कानून पास किये हैं, नई परंपराएं डाली हैं। अब समय आ गया है। प्रान्त की जलती हुई समस्याओं के बारे में एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। आपसी समझौते द्वारा इस प्रदेश के पिछड़े हुए लोगों को आगे लाना होगा। जहां तक राजप्रमुख महोदय के भाषण का सम्बन्ध है यह स्वयं कहनेवाली पुस्तिका है। उन्होंने सभी चीजों पर प्रकाश डाला है जो राजस्थान के लिये आवश्यक हैं? हमारे सामने कई समस्याएं हैं। महंगाई की समस्या काफी जटिल हो रही है। रिट्रेन्चमेन्ट और अन्य कारणों से आज हमारे यहां का नौकरी करनेवाला वर्ग असंतुष्ट है। हमें उनके लिये प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा मार्ग निकालना चाहिये कि जिससे इस प्रदेश के लोगों को राहत मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेकारी की समस्या केवल राजस्थान सरकार के हल करने की चीज हो; यह मैं नहीं मानता। जो बात सरकार कर सकती है वह यह है कि हमारी सरकार सुझाव दे भारत सरकार को कि वे इसे हल करने का कोई मार्ग निकालें। इसमें शक नहीं कि एक समय आयगा जब

आज जो चीज हल्की मालूम पड़ती है वह आगे चलकर दूसरे लोगों पर भी खतरा डाल सकती है। अत: मैं निवेदन करूंगा कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये। श्रीमन् राजप्रमुख ने इसके बारे में अपने अभिभाषण में संकेत किया है कि कुछ अपनी एजेन्सीज के जरिये इन बेकार लोगों को काम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लोग काम पर लग चुके हैं और काफी लोग आगे भी काम पर लगाये जायेंगे। यह नहीं होना चाहिये कि हम बहुत ज्यादा निराश हो जायं। हमें प्रयत्न जारी रखना चाहिये जैसा कि हम आगे करते आये हैं।

राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम शिड्यूल्ड एरिया कहते हैं। वह भाग जहां से मैं स्वयं आया हूं एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको ऐसा एक भी नागरिक नहीं मिल सकेगा जिसकी हालत अच्छी हो। वहां आपको २ प्रतिशत आदमी भी ऐसे नहीं मिल सकेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति दूसरे आदमियों के बराबर हो। उनको ऊंचा उठाने के लिये हमने काफी प्रयत्न किया है और यह प्रयत्न जारी भी है। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान में १० वर्ष उनको दूसरों के समान स्थिति में लाने को रखे गये हैं। हमारा प्रयत्न उस ओर हुआ है; लेकिन वह काफी नहीं कहा जा सकता। जैसा राजप्रमुख महोदय ने अपने भाषण में फरमाया है उनके लिये एक कमिशन १२ आदमियों का कायम किया गया है। मुझे आशा है कि इस कमिशन के द्वारा इस प्रदेश के लोगों को काफी तरक्की मिलेगी और वे ऊंचे उठाये जा सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ फर्क आज भी आया है। शिक्षा में उनकी तरक्की हुई है और वे लोग आज अनुभव करते हैं कि वास्तव में स्वराज्य आया है। एक जमाना था जब उन लोगों में यह भाव नहीं थे। आज निश्चितरूप से यह कहा जा सकता है कि पिछड़ा हुआ वर्ग यह महसूस करता है कि आज अच्छा जमाना आया है। कुछ लोग इसमें आश्चर्य प्रकट करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे उस एरिया में जावें और देखें कि वास्तव में कुछ हुआ है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक बार मेरे साथ वहां पधारें। मैं दावत देता हूं कि वहां आकर वे तरक्की में कुछ सहयोग दें तो अधिक तरक्की हो सकेगी।

वास्तव में कुछ समस्याएं और भी हैं जिन के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और वे हम सबसे छिपी हुई नहीं है। जैसा कि राजप्रमुख महोदय ने कहा है प्रान्त को आगे बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि सब लोगों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना हो। राजप्रमुख हमारे यहां के प्रथम नागरिक हैं जिन्होंने हमें महान् संदेश दिया है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण दिया है, उनको धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसका समर्थन करते हुए आप उसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष:—श्री रामचन्द्र चौधरी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और वे १५ मिनिट बोलेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन् राजप्रमुख ने यहां पधार कर हमारे सामने अभिभाषण देने की जो कृपा की है उसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पास करना अत्यन्त आवश्यक है।

हमारी जो पिछली सरकार रही है, और उसने जो काम किया है वह सब आपके सामने है। पहले जो लॉ एण्ड ओर्डर की स्थिति थी उसे केन्द्रीय सरकार और आस पास की सरकारें जानती थीं। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं था। पिछले वक्त हमारी सरकार ने यह कहा था कि हम बहुत जल्दी इस पर काबू पा सकेंगे और जो चार छः महीने में इस सम्बन्ध में स्थिति हुई है वह आपके सामने है। जितने मशहूर डाकू थे वे यातो पकड़ लिये गये या मार दिये गये और जो भयभीत इलाका था वह ठीक हो गया। इससे केन्द्रीय सरकार में भी हमारी सरकार की इज्जत हुई और जो डाकू लोग उत्पात्त करते थे उनके उत्पात भी बन्द हो गये।

दूसरी महत्वपूर्ण चीज है चम्बल-योजना। चम्बल-योजना से सारे राजस्थान को लाभ पहुंचेगा। पिछली सरकार की नीति भी हमारे सामने है। जो कुछ वह करना चाहती थी वह न कर सकी। इस सरकार ने अपने अर्से में इस योजना को फाइव इयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में सम्मिलित करा दिया है। इससे हमारे देश में बेकार पड़ी हुई भूमि सरसब्ज हो जाएगी और खेत हरे भरे होकर लहलहा उठेंगे। हमारा देश अन्न के लिए जो ६०-७० लाख रुपया बाहर भेज रहा है वह न भेजेगा और यह रकम बाहर न जाकर हमारे कोष में सम्मिलित हो जाएगी और अनाज के विषय में हम, शतप्रतिशत नहीं तो बहुत कुछ स्वावलम्बी हो सकेंगे।

दूसरी भाकरा-योजना है। इस सम्बन्ध में इस समय तेजी से काम चल रहा है और यदि वह इस तरह से चलता रहा तो इस योजना से हमारी कई लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

अब प्रश्न आता है आबू का। आबू के प्रश्न पर ढ़ीलाई रही थी। यहां पर लोगों ने जोश और रोश भी दिखाया था। इस अर्से में आबू के प्रश्न पर भी कई मीटिंग्ज़ हुई और प्रोपेगेन्डा भी किया गया। इसमें अच्छी प्रगति हुई है। जहां तक बाहर का ताल्लुक है; हमारी सरकार ने आशातीत प्रगति की है।

अब सवाल आता है इन्टर्नल एडमिनिट्रेशन का। जिस सरकार की सर्विसेज़ सेटिस्फाइड (सन्तुष्ट) नहीं है वह सरकार नहीं चल सकती। अच्छे से अच्छे कानून बना दिये जायं किन्तु उनको अमल में लाने का काम सरकारी सर्विसेज का होता है और जिस सरकार की सर्विसेज सेटिस्फाइड न हों वह काम नहीं कर सकती। सरकार ने सर्विसेज को प्रोटेक्ट किया और उनमें विश्वास पैदा किया। जब तक कोई भी एम्पलोई अच्छी तरह से काम करता रहेगा उसकी सर्विसेज को कोई खतरा नहीं रहेगा। इससे अब हमारा इन्टरनल एडमिनिट्रेशन काफी अच्छा हो गया है। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पहले से

अच्छी हो गई है। उससे पहले लोग घरों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, जान और माल का जिनका कोई पता नहीं था, वह दशा अब नहीं रही है। थोड़े दिनों में यह इतिहास एक अतीत का इतिहास बन जायगा। गवर्नमेन्ट ने जो कहा था उससे ज्यादा करके दिखा दिया है।

पांचवीं बात हमारे जनहित के कार्यों सम्बन्धी है। हमें यह देखना है कि हमारी सरकार जनहित के कार्य कहां तक कर पायी है? पिछले सेशन में प्रोड्यूस रेन्ट रेग्युलेटिंग एक्ट पास किया गया था। उससे आप देखेंगे कि काफी फायदा पहुंचा है। आप देखेंगे कि जो किसान अपने को भूमि का मालिक नहीं समझता था और जागीरदार और जमींदार से दबा हुआ था वह अब अपने को भूमि का मालिक समझता है। उसकी भूमि से पैदा हुआ अन्न ज्यादातर उसके घर में रहता है पहले आधी से अधिक पैदावार जागीरदार ले लेता था किन्तु अब १/६ हिस्सा ही वह अदा करता है।

प्रोटेक्शन ओफ टिनेन्ट्स ओर्डीनेन्स—इस कानून के लागू होने से पहले किसान बेदखल हो सकता था किन्तु अब नहीं हो सकता। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अब टिनेन्सी बिल हमारे सामने है। इससे जहां तक किसानों का ताल्लुक है, उनके सिस्टम में महान् परिवर्तन होने वाला है। टिनेन्सी बिल पास हो जाने के बाद किसानों की कितनी ही समस्याएं हल हो जायंगी। जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट भी आपके सामने है। उसका असर आपके सामने मालूम नहीं हो रहा है। इसका अमल कानून के जरिये रोक दिया गया है, किन्तु उससे जो परिवर्तन होगा वह आपको नजर आ जावेगा।

इसके बाद सरकार ने कम्युनिटि प्रोजेक्ट में जो हिस्सा लिया है उससे हमारी कई तहसीलें मोडल बन जावेंगी। इससे देहातों में सड़कें होंगी, इससे स्कूल होंगे, इससे होस्पिटल्स होंगे। तीन चार साल बाद यह अन्दाज लगा सकेंगे कि हमारी गवर्नमेन्ट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सब तरफ गवर्नमेन्ट की तरक्की को देखते हुए मैं गवर्नमेन्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और जो श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:- माननीय अध्यक्षजी, आज से छः महीने पहले जब श्रीमन् राजप्रमुख साहिब ने अपना पहला अभिभाषण इस सदन के सामने दिया था वही दृश्य आज भी मेरे सामने है। माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि उस वक्त भी मैंने एक आपत्ति उठाई थी कि श्रीमन् राजप्रमुख साहिब अगर हिन्दी में बोल नहीं सकते और अंग्रेजी में ही अपना अभिभाषण दे सकते हैं तो क्या हमारी गवर्नमेन्ट के पास कोई एक भी साधन नहीं जो हिन्दी में अनुवाद करा सके। यदि हमारी सरकार को सचमुच हिन्दी से प्रेम है तो, जरूर यह छोटी बात है मगर उसे इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार एक बिल भी इस सम्बन्ध में पास करने के लिए रख रही है। मैं यह कहूंगा कि उनका हिन्दी से प्रेम, प्रचार के लिये ज्यादा है मगर इस्तेमाल में लाने के लिए नहीं।

(विरोधी दल द्वारा करतल ध्वनि)

यह बात ध्यान में रहे कि भारत के राष्ट्रपति, जो दुर्भाग्यवश अस्थमा के रोगी हैं और जिनको बोलने में बहुत कष्ट मालूम होता है; भी जब सदन के सामने अभिभाषण देते हैं और जिसमें करीब उन्हें घंटा भर बोलना पड़ता है तो वे हिन्दी में अभिभाषण देते हैं और उसके बाद उसका तर्जुमा अंग्रेजी में सुनाते हैं। तो क्या हम सरकार से आशा न करें कि वह हिन्दी के लिए, सिर्फ भ्रम में डालने वाला, अपना प्रेम न दिखा कर वास्तविक रूप में प्रेम दिखावे। यह आपत्ति पिछले वक्त भी उठाई गई थी और बहुत से कांग्रेसी सदस्यों ने भी मेरा साथ दिया था। यह गलती इस दफा भी की गई जिससे में फिर आपत्ति उठा रहा हूं।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा है। आपने फरमाया कि यह समस्या हमारे इस नये प्रान्त के लिये कठिन समस्या है जिसके लिये में मुख्य मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या यह विचार जो श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में प्रकट किये हैं वे क्या राजप्रमुख के निजी विचार हैं या प्रधान मंत्रीजी के निजी विचार हैं जिनके अन्डर में लॉ एन्ड आर्डर का पोर्टफोलियो है या मंत्री मंडल के विचार हैं? मेरे ख्याल से यह सब गवर्नमेन्ट का विचार होना चाहिये। मगर इसमें सन्देह उत्पन्न होरहा है। वह सन्देह इसलिए उत्पन्न हुआ है कि पिछले अधिवेशन में इसी लॉ एन्ड आर्डर के विषय में हमारे राजप्रमुख ने इस सदन के सामने कहा। उसके बाद में कांग्रेस के दो महारथियों के बीच में इसके लिये वाद विवाद चल पड़ा था। उन महारथियों में से एक महारथी इस सदन में मौजूद हैं। अगर वे इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो हमारे लिये बड़ी खुशी की बात होगी। उस अधिवेशन के बाद अखबारों में ऐसा देखा गया कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जो कि इस सदन में मौजूद हैं जिसकी हमें खुशी है....

(विचार जारी)

Shri Kishan Lal Shah:—Would the leader of Opposition correct himself by using the words "Chief Minister," instead of Prime Minister.

श्री जसवन्त सिंह:-- (भाषण जारी रखते हुए) उस वक्त अखबारों में यह लिखा गया देखा गया था और यह कहा गया कि यह जो कानून और व्यवस्था के बारे में राजप्रमुख ने जो कुछ कहा है वह मंत्री मंडल के राय से नहीं कहा। उसका कटाक्ष भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के द्वारा अखबारों में किया गया। उसकी ताईद बाद में और हुई वह यह हुई कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधि जो कौन्सिल आफ स्टेटस् में मेम्बर हैं कानून और व्यवस्था के बारे में जब प्रिवेन्टिव डीटेन्शन बिल पर बहस हो रही थी यह कहा था, "राजप्रमुख ने कानून और व्यवस्था के बारे में कहा है वह मंत्री मंडल को दिखाये बगैर कहा गया है"

श्री जयनारायण व्यास:—माननीय अध्यक्ष, मैं यह आपत्ति उठाना चाहता हूं कि जो कुछ भी कौन्सिल आफ स्टेट में कहा गया है उन वजूहातों का जिक्र यहां नहीं आना चाहिये। मैं समझता हूं कि यहां उनके रेफरेन्स नहीं दिये जा सकते।

श्री जसवन्त सिंह: -(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरा इस सवाल का यह उत्तर है कि जो कुछ भी विधान सभाओं या संसद में कहा जाता है वह पब्लिक डोक्युमेन्ट्स हैं; उनका क्लेरिफिकेशन किसी भी समय किया जा सकता है। अखबारों द्वारा या अन्य जरिये से भी उसे साफ कर सकते हैं। और एक प्रतिनिधि ने कौन्सिल आफ स्टेट में ऐतराज किया कि राजप्रमुख ने जो कुछ कहा वह मंत्री मंडल की राय से नहीं कहा गया। उस वक्त न्याय और व्यवस्था के बारे में जो राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में कहा उस बात पर शक पैदा होगया था। उस शंका को दूर करने के लिये जो कुछ प्रमाण रखे हैं मुख्य मंत्री की निगाह में क्या क्या बातें हैं।

लॉ एन्ड आर्डर के लिये जो कुछ कहा गया है वह सन्तोषजनक है; उसकी हमें खुशी है। जो कुछ भी कदम तेजी से इस विषय में उठाया जाय हमें खुशी है। मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा; शायद वे बातें सरकार के ध्यान में भी हों। हमारे कुछ राजकर्मचारी डाकुओं के रूप में जनता का शोषण करने के लिये जो खुले आम जनता का शिकार कर रहे हैं क्या इस बात की ओर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। डाकुओं को मारने के लिये एक जाति विशेष को कुचलने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं; इसका जिक्र तो बाद में करूंगा मगर हमारे राजकर्मचारी डाकुओं के रूप में खुल्लमखुल्ला जनता को चूसने के लिए किन किन तुच्छ तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जिक्र करना यहां उचित होगा।

यह गलत नहीं होगा यदि यह कहा जाय कि गवर्नमेन्ट इन तरीकों को प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि मैं गवर्नमेन्ट के डोक्युमेन्ट इस वक्त सदन के सामने पेश करूंगा। एक मामला हमारे संयुक्त दल के कार्यालय में आया। उस सम्बंध में गवर्नमेंट के सर्टिफाइड डोक्यूमेन्ट्स इकट्ठे किये गये। उसके आधार पर, मैं आप सज्जनों को बतलाने की कोशिश करूंगा कि हमारे राजकर्मचारी जनता को सताने में उन डाकुओं से कम नहीं। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो डाकुओं से कम नहीं कहे जासकते। जनता के साथ उनका बर्ताव कैसा है यह यदि आप सुनेंगे तो आप रोमांचित हो उठेंगे। यह बात मैं सरकार से पछूंगा कि सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया है? उदाहरण स्वरूप पिछली बार जब डकैतियां हुई तो उनको रोकने के लिये अरवली पहाड़ियों में स्थित राजस्थान एन्टी डकैत फोर्स के कर्मचारियों ने जो जुल्म व अत्याचार किये उनको जानकर आपके रोमांच, मानव होने के नाते, खड़े हुए बगैर नहीं रह सकते। मेरे पास, अत्याचार के जो शिकार बने हैं उनके हल्फनामे मौजूद हैं। सरकार यदि देखना चाहे तो मैं उसे पेश कर सकता हूं। गवर्नमेन्ट को चेलेन्ज देता हूं कि यदि वे इस संबन्ध में इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी कमेटी बैठायें और इस बात की जांच करवायें तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो जायगा। यदि हमारी सरकार को जनता के दुखों का ख्याल है तो वह अवश्य ऐसा करेगी; वरना अत्याचारी जनता का शोषण करने में कभी नहीं रुकेंगे और उनके अत्याचारों में कभी कमी नहीं आएगी। उस अरावली पहाड़ी में स्थित एन्टी डकैत फोर्स के कर्मचारियों ने जो जो जुल्म किये हैं उनके

अफिडेविट्स आप सज्जनों के सामने पेश करना चाहता हूं। उस सम्बन्ध में जैतारण सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने एक केस चल रहा है। आई.जी.पी.और चीफ सेक्रेट्री आदि बड़े बड़े अधिकारियों तक यह मामला गया है। लेकिन किसी ने इस मामले की सुनवाई नहीं की। सरकार की जैसी प्रणाली चल पड़ी है उससे हमें न्याय की आशा नहीं है, फिर भी किन्तु हम आशा करते है कि इस सदन द्वारा, जनता पर हो रहे अत्याचारों को रखने का हमें मौका मिला है इसलिये में सदन के सामने उन बातों को रख रहा हूं।

सब से पहले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में स्त्रीवर्ग एक ऐसा है जो अपने ऊपर चाहे कितना ही घोर अत्याचार किया जाय खुले आम उस दुर्व्यवहार का, वर्णन नहीं करेगी। हिन्दुस्तान की स्त्रियों में शर्म एक ऐसी चीज है जिसके कारण चाहे कितना ही अत्याचार किया जाय, जुल्म किये जायं, वे आम तौर पर कभी भी नहीं कहेंगी कि उन पर बलात्कार किया गया या जुल्म किया गया।

एक रावत राजपूत जाति की स्त्री के साथ एन्टी डकैत फोर्स के कर्मचारियों ने जो जो जुल्म किये उसका जो एफिडेविट जैतारण सब डिविजनल मजिस्ट्रेटी में जो पेश किया है उसकी एक नकल में आपके सामने रखना चाहता हूं। मुसम्मात नौजी बेवा भूरा राजपूत कहती है, कि झंडे वाले डकैत फोर्स ने एक माह पेश्तर मुझे अपने घर से बाहर निकाला और आम रास्ते में ले गये, मेरे तमाम कपड़े उतार लिये गये। इसके आगे जो कुछ उसके साथ किया गया, उसका उसने जो बयान किया है में दुख के साथ आप से अर्ज करता हूं कि में उस बयान को यहां पढने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यहां भी कई बहिने बैठी हैं। इसलिये अगर ये बहिनें यहां नहीं होतीं तो भी में हाउस के सामने पढने की धृष्टता नहीं करसकता। उसके साथ चौड़ आम इन एन्टी डेकोइट फोर्स के जुल्मियों ने दुर्व्यवहार की कार्यवाही की है। अगर कोई सदन का सदस्य या श्री चीफ मिनिस्टर उसे पढ़ना चाहें तो पढ सकते हैं। लेकिन मुझमें उसे पढने की इस सदन के सामने इतनी हिम्मत नहीं। में जानना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के बड़े २ ओफिसर जो लॉ एण्ड ओर्डर को कायम रखने वाले हैं वे और हमारी इतनी बड़ी सरकार जो एक जाति विशेष को कुचलने के लिये भले ही कदम उठाए लेकिन एक बेवा गरीब अबला पर जब इस प्रकार का जुल्म किया जाय तो हम यही कह सकते हैं कि राजस्थान में राज्य के कर्मचारियों ने जुल्म किया, वह असहय है। अगर इसको सरकार जुल्म नहीं समझती तो हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप डाकुओं को मारने के लिये दौड़ते है और उन पर खर्च करते हैं। आपको उसके लिये जीपें मिल सकती है। मगर में यह कहूंगा कि आप अपने घर में आपके खुद के कर्मचारियों को देखिये, वे क्या करते हैं? में उम्मीद करता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर व दूसरे सदस्य इस पर जो कदम उठावेंगे इसकी हमें जानकारी करावेंगे। लेकिन हमें इस प्रकार की आशा रखना व्यर्थ

ही है क्योंकि पिछले अधिवेशन में भी बहुत सी बातें सरकार के सामने रखी गई थी मगर उसका क्या हुआ मैं कुछ नहीं कह सकता ।

इसके अलावा दूसरे आदमियों के भी एफेडेविट हैं जिनको देख कर आपको मालूम होगा कि किस प्रकार लोगों पर जुल्म होते हैं । मैं आपकी जानकारी के लिये यही बतलाना चाहता हूं कि जनता के साथ चौड़े मैदान में खुले आम जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाय । दूसरे एफिडेविटों को पढ़ कर सुना कर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता लेकिन यह कहूंगा कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब देखना चाहें तो देख सकते हैं । मेरे पास ७–८ एफिडेविटस हैं जिनसे आपको मालूम होगा कि हमारे यहां के सैकड़ों की तादाद में एन्टी डेकोइटी फोर्स के आदमी किस प्रकार गांवों में पहुंचते हैं और एवड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें मार कर मांस और मदिरा खा–पी कर दंगे करते हैं । उनको मांस और मदिरा चाहिये । वे लोग जिस बकरे की कीमत बीस रुपये है उसके मालिक को सिर्फ दो रुपये ही देते हैं । इस प्रकार के सभी प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। वे डकैतों को पकड़ने के बहाने लोगों के घर में घुस जाते हैं और उन पर अत्याचार और मार पीट करते हैं । कहने के लिये तो यह कहते हैं कि फलां जगह डाकू घुसे हैं किन्तु वे इस प्रकार का बहाना करके लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वहां पर औरतों से छेड़ छाड़ करते हैं । जो कोई उनके अत्याचारों से बचना चाहती है उनको भागना पड़ता है । बहुत से लोगों को तो इन अत्याचारों से बचने के लिये वहां से भागना पड़ा । कहने का तात्पर्य यह कि जो बचाने के लिये जाते हैं और बचाने वाले होते हैं वे ही मारने वाले बन गए हैं । अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह डाकुओं को दूर ढूंढने के लिये न जाकर घर में ही ढूंढे और घरेलू डाकुओं का इलाज करें तो बहतर है ।

मेरे पास जो एफिडेविटस हैं उनमें एक पन्नेसिंह ने हल्फनामा दिया है कि उसको ३६ दिन तक पुलिस ने रोंगफुल कन्फाइनमेंट (Wrongful Confinement) में रखा और रोज उसको मार पीट की । आखिर में इन्स्पेक्टर पुलिस ने रु० २००) लेकर उसे रिहा कर दिया। अगर ऐसी जांच कमेटियें बिठलाई जावें तो सैकड़ों की संख्या में हम सरकार को बतलावेंगे जिसमें सिर्फ मार पीट करके उस व्यक्ति से पैसा लिया जाकर उसे छोड़ा गया । मैं इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें ।

अब मैं दुर्भिक्ष व अकाल के बारे में दो चार शब्द कहना चाहता हूं । हमारे राजप्रमुख ने फरमाया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में बड़ी बड़ी रकमें व्यय की गईं और अभी मेरे माननीय मित्र श्री जोशीजी ने, जिन्होंने यह प्रस्ताव किया, इस सम्बन्ध में काफी कहा । बेशक जो कुछ सरकार ने किया है उसके लिये हम आभारी हैं। कांग्रेस सरकार के पास जो साधन हैं, शक्ति है वह राजस्थान बनने से पहले अलग अलग रियासतों में बंटी हुई थी । मगर मैं सदन के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि पिछले साल एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था । बीकानेर और जोधपुर में, जहां कि

इस प्रकार के दुर्भिक्ष अक्सर पड़ते रहते हैं, कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने इस दुर्भिक्ष में कितना खर्च किया। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आटे में जो नमक होता है, उसके माफिक भी, जरूरत को देखते हुए, खर्च नहीं किया गया; फिर भी वे इस बात का दम भरते हैं कि हमने बड़ी बड़ी रकमें दुर्भिक्ष में दीं। बीकानेर, जोधपुर अगर इस वक्त में स्वतन्त्र रियासतें होतीं तो ऐसे दुर्भिक्ष में कम से कम ५० या ६० लाख रुपया खर्च करतीं और जनता के दुःख को मिटातीं। हमारे सामने ऐसे दुर्भिक्ष बहुत पड़े। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े दुर्भिक्ष में कितनी रकम खर्च की गई? अगर वे हिम्मत करके बतावें तो मैं कहूंगा कि जो रकम खर्च की गई है उसे देखते हुए अकाल पीड़ित जनता के लिये कुछ भी नहीं किया है।

हमारे दुर्भाग्य से यह मरू भूमि है जिसमें बीकानेर और जोधपुर आ जाते हैं और जहां अकाल के साथ साथ टिड्डियों का भी बड़ा भारी आक्रमण हुवा करता है; इसके बारे में श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा ऐसे शब्द कहलाये गये जो कागजों पर बहुत संतोषजनक प्रतीत होते हैं लेकिन असलियत उसको छू न पाई। हमारे राजप्रमुख ने फरमाया कि टिड्डियों को रोकने के लिये प्रबल उपाय किये जा रहे हैं और हमारे प्रयत्न सफल होंगे। मैं यह कहने की धृष्टता करता हूं कि कोई भी प्रयत्न नहीं किये गये। जहां तक बीकानेर का प्रश्न है और जो प्रयत्न किये गये हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अभी १५ दिन पहले की बात है कि मुझे एक इस प्रकार के क्षेत्र में जाने का अवकाश मिला। ठाकुर कानसिंहजी. जो सदन के सदस्य हैं, उनकी कोन्स्टीटयुएन्सी में हम घूमने गए क्योंकि वहां टिड्डियों की खास तौर से महरबानी हुई। जिस जिस गांव में हम गये, उन सब गांवों के उदाहरण न देकर मैं सिर्फ एक गांव का उदाहरण देता हूं। एक गरीब किसान, जो राजपूत नहीं था, यह भी सदन को प्रतीत होना चाहिये, उसके खेत में उसके दुर्भाग्य या भाग्य से अच्छी फसल हुई थी। टिड्डियों ने उस फसल पर आक्रमण किया। वह किसान गांव वालों की मदद से उन टिड्डियों को उड़ा रहा था। इस अवसर पर टिड्डी मारने के एक्सपर्ट राज की तरफ से पहुंचते हैं और उस गरीब को आदेश मिलता है कि तुम दूसरे गांव के खेतों में, जो वहां से ४-५ मील दूर थे, चलो और वहां पर टिड्डियों के आक्रमण को रोको। वहां उस बेचारे को जबरदस्ती ले जाया गया। हम भी मोटर में जा रहे थे। गांव में भीड़ देख कर हमने मोटर रोकी। किसान के आंखों में आंसू आ रहे थे। हमने मोटर रोक कर देखा तो मालूम हुआ कि उस खेत वाले किसान को तथा और गांव वालों को दूसरे गांव में टिड्डी उड़ाने के लिये ले जाया जा रहा है; जब कि इस गांव में भी टिड्डियों का आक्रमण हो रहा था। यह आज के जमाने की तारीफ समझिये जो हमारी कांग्रेस सरकार की महरबानी के कारण घूसखोरी, भ्रष्टाचार व अत्याचार का बोल बाला हो रहा है। राज्यकर्मचारी जनता से खुले आम रिश्वत ले रहे हैं। पूछ ताछ पर मालूम ऐसा हुआ, कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता, कि पास ही के एक गांव से इन टिड्डीमार लोगों ने कुछ रुपया ले लिया और उस गांव को टिड्डियों से रोकने के लिये वे मदद चाहते थे। एक आदमी के खेत

में जब टिड्डी पड़ी है और गांव वाले जब उसको मदद दे कर उड़ा रहे हैं तो उस समय उनको जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया गया।

अगर इसी कार्यवाही को, टिड्डी रोकने के लिये गवर्नमेन्ट संतोषजनक समझती है तो मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेन्ट के लिए कोई शोभा की बात नहीं हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:--जहां टिड्डी उड़ाने के लिये लोगों को पकड़ कर ले गये थे वह गांव किसी जागीरदार साहब का तो नहीं था ?

श्री जसवन्तसिंह--नहीं, वह गांव खालसे का था।

सड़क के अगल बगल में जहां Inspectors घूमते रहते हैं वहां टिड्डी मारी गई। इस दौरे में हमने बीसों जगह देखा कि टिड्डी मार महकमे के कर्मचारी बैठे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि क्या करें हम सरकार को लिख २ कर थक गये किन्तु टिड्डी मारने का मसाला नहीं आरहा है। अगर इन्हीं प्रयत्नों को टिड्डी मारने के अच्छे प्रयत्न कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है; हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई आदमी नहीं मरेगा और घर बैठे सबको अन्न पहुंचा दिया जायगा। इसी तरह तकावी के सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः--आप कितना समय और चाहते हैं आप को २५ मिनट हो गये हैं। I have given you enough latitude.

श्री जसवन्तसिंहः--दस मिनट और।

एक सदस्यः--जिस वक्त ऐसी घटनाएं घट रही थीं उस वक्त माननीय सदस्य ने किसी राज्य के अधिकारी को सूचित किया या नहीं ?

श्री जसवन्तसिंहः--माननीय मुख्य मंत्रीजी साहब के सामने मैंने यह बात रखी है और अब भी मुझे उम्मीद नहीं है कि इस दिशा में कुछ किया जायगा।

हां तो मैं तकावी के बारे में जिक्र कर रहा था। यह सिद्ध करने को तैयार हूं कि एक २ आसामी को दो २ बार तकावी दी गई है और उनमें से आसामियों के पास से हिस्से लिये गये हैं। याद रहे कि तकावी एक संस्था विशेष के सिफारिश से दी जाती थी। मगरा नामक बीकानेर में एक तहसील है वहां तकावी के लिये जो अधिकारी थे उन्होंने जो तय किया उसमें इसी संस्था विशेष के सदस्यों ने अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिये फेर-फार करना चाहा। मगर उस अधिकारी के मजबूत रहने पर खुले आम उससे बहुत झगड़ा किया। यह उस तहसील में एक मजाक की बात बन गई।

मुझे कहना बहुत है और समय कम है सिर्फ एक विषय पर जो कहना चाहता हूं वह यह है कि–मैं चाहता तो यह था कि Preventive Detention के बारे में बेचारे राजप्रमुखजी द्वारा जो कुछ कहलाया गया है वह नहीं कहलाया जाता।

श्री टीकाराम पालीवाल:–बेचारे ? It is not a parliamentary expression.

श्री अध्यक्ष:–Use Constitutional term.

श्री जसवन्तसिंह:–मैं विद्ड्रा करता हूं। पर दर असल बात यह है कि उनको जैसा कहलाया जाता है वह उनको कहना पड़ता है। परन्तु ठीक तो यह होता कि ऐसा उनसे नहीं कहलाया जाता। "बेचारा" इसलिए कहा कि ऐसा कहने के अलावा उनके पास चारा नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल:–The same expression persists.

श्री अध्यक्ष:–He has withdrawn.

श्री जसवन्तसिंह:–मेरे लिए यह लाजमी हो गया है कि मैं Preventive Detention पर प्रकाश डालूं, हालां कि मेरे पास समय नहीं है। यदि इस विषय पर कहना चाहूं तो एक घंटा मुझे इस पर लग जाय। इसके जवाब में राजस्थान क्षत्रिय महासभा की तरफ से एक पेम्फलेट, जिसका नाम "The problem of Law and Order in Rajasthan" छपवाया गया है। महरबानी करके उसको पढ़लें। संक्षेप में मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं।

यह एक ऐसा विषय है कि जान बूझ कर एक जाति विशेष पर ज्यादती की गई है। मैं जो कुछ कहूंगा Documentary evidence के Basis पर कहूंगा। कुछ कटु बातें हों तो क्षमा किया जाय।

भारत के राष्ट्रपति गांधीजी ने कांग्रेस की स्थापना की–हालांकि कांग्रेस की स्थापना उनसे पहले की जा चुकी थी फिर भी नियमित रूप से उन्होंने ही इसकी स्थापना की–तो उन्होंने कभी यह ख्याल नहीं किया था ....

श्री अध्यक्ष:–राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता

श्री जसवन्तसिंह:–पिता और पति दोनों; क्योंकि वे राष्ट्रपति भी रह चुके थे।

श्री रामकिशोर व्यास:–मैं यह जानना चाहता था कि पिता और पति में कोई फर्क नहीं है क्या ?

श्री जसवन्तसिंह:–यह तो वह संस्था ही अच्छी तरह बता सकती है जिनके वे दोनों रहे हैं।

श्री अध्यक्ष:–Now conclude.

श्री जसवन्तसिंह:–कांग्रेस एक जाति विशेष पर कुठाराघात करने के लिए नाजी टेकनीक प्रयोग में लाना चाहती है। सोवियट और नाजी टेकनीक जो हिटलर के जमाने में प्रयोग में लाये गये थे वही टेकनीक कांग्रेस हमारे राजस्थान में राजपूतों के खिलाफ अख्त्यार कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने जागीरदारों के नाम पर राजपूतों के खिलाफ प्रेस और प्लेट फॉर्म पर जहर फैलाया। इसके बाद राजस्थान के जयपुर के अखबारों ने इस पर कुछ कहा–सुना। यहां तक कि इन्हें Criminal Tribes की उपाधि दी गई। इसमें भी हमें खुशी है कि हमें एक अछूत की उपाधि तो दी गई। कम से कम अछूत समझ कर तो सरकार हमारे साथ कुछ भलाई करेगी। यह Campaign किया गया, Preparation की गई कि हमारे साथ क्या २ किया जाय। पिछले अधिवेशन में हमारे प्रधान मंत्री ने जितने गंभीर भाषण दिये हैं, हर भाषण में उन्होंने फरमाया कि एक विशेष सुविधा प्राप्त जाति द्वारा यह बातें की जाती हैं और गवर्नमेन्ट ऐसा कदम उठायेगी कि उनकी सुविधाएं खत्म की जायं।

एक सदस्य:–Again same mistake प्रधान मंत्री नहीं, मुख्य मंत्री कहें।

श्री अध्यक्ष:–Don't interrupt please.

श्री जसवन्तसिंह:—मैं हिन्दी ज्यादा नहीं जानता। उन्होंने २० दफा यह फरमाया। हमने यह समझा था कि बेशक असेम्बली समाप्त होते ही राजपूत जाति पर खूब कुठाराघात होगा। परन्तु यह तो हम जानते थे कि जहां तक हमारे मुख्य मंत्रीजी के हाथ है वे हमारे साथ रहे हुए हैं हमारे साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जायगा।

Speaker:—Your ten minutes are over.

Shri Jaswant Singh:—I have been interrupted several times.

Speaker:—This is a gain to you. You have been refreshed.

Speaker:—No body wants to ....

श्री जसन्तसिंह:—जो ज्यूज (यहूदियों) के खिलाफ नाजियों ने टेकनीक्स प्रयोग में लिये वही इन्होंने हमारे खिलाफ लिये हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इस सदन के २ मेम्बरों को इन्होंने जेल में डाला। हमें खुशी है कि हम भी जेल यात्रा करने की तय्यारी कर रहे हैं। कम से कम साठ (६०) आदमियों को जेलों में Preventive Detention के अन्तर्गत डाला गया उनमें से एक के खिलाफ भी वह High Court में या Advisory Board के सामने दोषारोपण साबित कर सकते तो हमें दुख नहीं होता।

(विरोधी दल की ओर से–Shame-Shame)

परन्तु दुख की बात है कि हमसे बदला निकालने के लिए और पिछले इलेक्शन में हमें दुर्भाग्य से जो उनका opposition करना पड़ा उसके लिये हमें कुचलने के लिए यह सब कार्यवाही की गई । इतनी बड़ी तादाद में Preventive Detention Act के तहत में पकड़े जायं और एक के खिलाफ भी Proof (साबित) नहीं हो तो क्या यह सभ्यता की गवर्नमेन्ट कही जायगी । यह तो मुखालिफों को कुचलने की बातें हुई हैं ।

मैं क्षमा के साथ कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज वह वही स्वप्न देखना चाहते हैं जैसा कि स्वप्न नाजी देख रहे थे । जिस प्रकार नाजी ज्यूज (यहूदियों) को खत्म करना चाहते थे उसी तरह राजस्थान से राजपूत जाति को खत्म करने का स्वप्न कांग्रेसी देख रहे हैं । मैं कहता हूं कि जिस तरह हिटलर का यह स्वप्न ही रहा उसी तरह का उनका यह स्वप्न भी रहेगा । जो जुल्म कर सकें आप करें । हम जुल्म सहने को तय्यार हैं । जब तक एक भी राजस्थानी जिंदा है इस काम में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी ।

यह गांधीजी का स्वप्न नहीं था ।

श्री तनसिंह:—श्रीमन् राजप्रमुख ने जो भाषण दिया है उसके लिए सरकारी पक्ष आभार प्रदर्शन करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । कारण यह है कि श्री राजप्रमुख ने जो भाषण दिया है उससे वस्तुस्थिति को और सरकारी कार्य कलाप को छिपाया गया है । जो नितांत आकर्षक नहीं था, उसे आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है । ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो सरकार को निष्पक्ष दृष्टि से देखना चाहें, नहीं देख सकते ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार का जिक्र किया और बताया कि सुरक्षा को वापिस लौटा लिया गया है । इसके विषय में मुझे आश्चर्य भी हुआ । हम निस्सन्देह यह बात कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता उसी दिन सुख की नींद ले सकती है जबकि उसे उसकी सरकार पर पूर्ण भरोसा हो जाय; लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि प्रकाश को कभी अंधकार द्वारा नहीं भुलाया जा सकता । यदि न्याय और व्यवस्था के नाम पर अन्याय और अव्यवस्था चलाई जाती है और इसके नीचे एक भी बेकसूर व्यक्ति कुचला जाता है तो यह न्याय के नाम पर काला धब्बा है । अध्यक्ष महोदय; हममें से कोई भी, चाहे सरकारी अथवा विरोधी दल के हों, यह नहीं चाहता कि उसके मुंह पर काला धब्बा लगे । मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि स्वेच्छाचारिता अच्छी नहीं और अन्याय की स्वेच्छाचारिता बुरी है; परन्तु न्याय भी, चाहे स्वेच्छा चारिता करने लग जाता है तो वह अत्यन्त दुःख पूर्ण है । जैसा कि विरोधी दल के नेता ने बताया कि Preventive Detention Act में बहुत से लोगों को लिया गया है और उन पर कोई अपराध साबित नहीं होने से वे मुक्त किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि यह सब विशेष कारणों द्वारा किया गया है ।

माननीय मंत्री महोदय ने एक बार तुमुल करतलध्वनि के बीच एक राजस्थानी कहावत के लिये कहा था कि उसका वे प्रयोग नहीं करना चाहते किन्तु उसका हिन्दी अनुवाद करके बताया था कि शिकायतें वे लोग कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ शिकायतें होनी चाहिए। विरोधी दल को अशान्ति और अव्यवस्था के लिए दोषी ठहराया गया था लेकिन आज भी में उनको तसल्ली के साथ बताना चाहता हूं कि यदि वे शान्ति से अपने लिए सोचते तो यही न्याय उन पर लागू हो जाता है। यदि ३९२ और ३९५ (दण्ड विधान की धाराएं) कानून की दृष्टि से हीनियस ओफेन्स हैं तो ४२० और ४०९ भी उनसे कम नहीं। सरकारी बेंचों पर बैठने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर, इस सरकार ने न सही, बल्कि इसके पहले की सरकार ने, जिनके कार्यों की यह सरकार भी जिम्मेवार है ऐसे ही दफा के मुकद्दमे चलाये थे।

कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो जिम्मेदार सरकार अपने यहां है वह विरोधी पक्ष को दबाने की अपेक्षा स्वयं इसका भार वहन करती तो अच्छा होता। उन एलीगेशन्स (Allegations) की अदालत द्वारा पुष्टि कराते वे यह कहलवाते कि ये दोष निर्मूल हैं और व्यर्थ ही उन अपराध पर थोपे गये थे तो अच्छा रहता। इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार के न्याय की चक्की विरोधी दल को पीसने के लिये ही काम में लाई जायगी तो यह न्याय नहीं कहलायेगा। न्याय की चक्की से यदि ठीकरी पीसी जाती है तो उससे पहाड़ भी पीसे जाने चाहिये। हमारे भाई भी यदि कानून की नजरों में दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी जो वास्तव में अपराधी हैं कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये और उचित दंड देना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में दुर्भिक्ष को निपटाने और खाद्य-स्थिति में संतोषजनक परिवर्तन होने का जो दिग्दर्शन कराया है वह विचित्र बात मालूम होती है। ऐसा बतलाया गया है कि दुर्भिक्ष रोक दिया गया है लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि कहां रोक दिया गया है। जयपुर की सड़कों पर दुर्भिक्ष को रोक दिया गया है या इस सदन के भवन में आने से रोक दिया गया है। में निवेदन करूंगा कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष अट्टहास कर रहा है। श्रीमन् राजप्रमुख ने एक बात स्वीकार की है कि राजस्थान में टिड्डी दल का भय अभी तक वर्तमान है। में यह निवेदन करूंगा कि वह भय समाप्त हो चुका है और समस्या हल हो चुकी है। हमारे यहां टिड्डीदल ने लहलहाते खेतों को नष्ट करके उन्हें ऐरोड्रोम बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर की जनता सोचती है कि यह एक ईश्वरीय प्रकोप था; लेकिन में कहूंगा कि वह ईश्वरीय प्रकोप नहीं था बल्कि सरकार का प्रकोप था और वह इसलियें कि बाड़मेर जिले से चारों निर्वाचन क्षेत्रों से गैर कांग्रेसी उम्मीदवार चुने गये हैं। इसलिये में समझता हूं कि एक भी कांग्रेसी मंत्री को वहां जाने की फुरसत नहीं मिली जब कि किशनगढ़ जैसे छोटे क्षेत्र में बहुत दौड़ धूप की गई। बाड़मेर में केन्द्रीय मंत्री मंडल के एक मंत्री महोदय दौरे पर आये थे और उन्होंने टिड्डी दल के बारे में जानकारी

प्राप्त की थी; पर यहां के कोई मंत्री महोदय वहां नहीं पहुंचे। वहां की जनता किसके पास जाकर अपना दुःख सुनाती जब कि उनकी सुननेवाला वहां कोई नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने पाकिस्तान की सीमा पर पुलिस की सतर्कता का वर्णन किया और सदन के सदस्यों को उस पर विश्वास भी हो गया क्योंकि उनको वहां जाकर देखने का मौका नहीं मिला। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास ही पाकिस्तान है और वहां जैसी सतर्कता है उसकी खबर पत्रों में आई या नहीं; यह मैं नहीं कह सकता। कई गांव लुट गये सो तो लुट ही गये या कई कत्ल हुए सो तो हो ही गये; इस बात की परवाह करना तो दूर रहा पर पुलिस पर आक्रमण करके उनको कष्ट दिया गया; इससे बढ़कर सतर्कता क्या हो सकती है? जो रक्षा करनेवाले हैं उनके लिये मिलिटरी बुलानी पड़ी। यदि इसी सतर्कता के लिये उनका आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिये मैं धन्यवाद देने को तैयार नहीं हूं।

शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया कि उनकी सरकार उस नीति का समर्थन कर रही है जो पहले ठीक सिद्ध हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि यह बात कहां तक ठीक है। हममें से बहुत से लोग जानते हैं कि कपड़े में काला बाजार हुआ या हो रहा है। शक्कर में काला बाजार हुआ और अन्य अन्य वस्तुओं में भी काला बाजार होता है। लेकिन विद्यार्थियों की भर्ती में भी काला बाजार होता है सम्भवतः यह किसी ने नहीं सुना होगा। मैंने आंखों से देखा है इसलिये मैं आपको यह बात सुनाता हूं। यह काला बाजार इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ हो जहां पर कि कम स्थान होता है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं; यह बात डी. एम. पी. स्कूल की है जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का हमारी सरकार का विचार है। वहां भर्ती काले बाजार द्वारा होती है। मैंने एक अर्जी शिक्षा मंत्रीजी के पास भेजी थी। मैं नहीं समझता कि वह पहुंची या नहीं यदि पहुंची होती तो उसका उत्तर तो वे शायद अवश्य देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। यही नीति यदि संतोषप्रद कही जाती है तो आश्चर्य ही है। हमारे यहां डी. एल. पी. स्कूल नम्बर ३ है जो एक बोर्डिंग हाउस के बरंडे में है। सर्दी के दिनों में वहां पढ़नेवाले बच्चे ठंड से ठिठुर जाते हैं क्योंकि वहां बैठने का स्थान नहीं है। फिर भी सरकार कहती है कि संतोषप्रद नीति का अनुसरण किया गया है। मैं कहूंगा कि यह नीति संतोषप्रद नहीं है और यह अनुसरणीय नहीं है।

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने अभी बतलाया था कि वे दावत देने को तैयार हैं कि कोई सदस्य उनके स्थान में जावे यहां अनुसूचित जातियों का प्रदेश है और वहां पर देखें कि उन्होंने वहां पर क्या क्या कार्य किये हैं या सरकार द्वारा किये गये हैं। इस बारे में भी मैं धृष्टता कर रहा हूं। मैं भी सदन के सदस्यों को दावत देने को तैयार हूं कि वे मेरे उस प्रदेश की ओर जावें तो वे देखेंगे कि कई सूचित जातियां अनुसूचित जातियां बन गई है और

वहां के लोग किस तरह से समृद्धिशाली हुए हैं; वे स्वयं जाकर देखें ? मैं यह नहीं कहता कि अनुसूचित जातियों का उद्धार नहीं होने चाहिना। मैं यह भी नहीं कहता कि किसी को तरक्की करने का हक नहीं है। पानी की रक्षा के लिये बांध बनाये जायं; पर यह उचित नहीं है कि बांध बंधाया जाय वह बांध कटा हुआ ही रह जाय। आपको दोनों जातियों को ऊंचा उठाना चाहिये। बाड़मेर और शिव जैसी तहसीलों में देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां गांव के गांव उजाड़ हो गये हैं लेकिन वहां पर कोई सहायता नहीं दी गई। सहायता के नाम पर बाड़मेर एक बार डिब्बे आये थे जिन में दूध भरा था। ये डिब्बे छोटे छोटे थे और तहसील में मुफ्त बांटे गये थे; यह बताने के लिये कि सरकार खाद्य स्थिति को सुधार रही है। ये डिब्बे एक पाउन्ड वजन के थे और इस दूध से हमारे बाड़मेर और उसके आसपास गांवों में बसने वाली जनता काफी प्रसन्न है और इससे खाद्य स्थिति काफी सुधर गई है यदि ऐसे भाव हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी वहां पधार कर लोगों की खुशहाली देखें। मैं बहुत कुछ कह गया। अब अधिक समय लेना नहीं चाहता इसलिये अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।

Mr. Speaker:—Raja Man Singh.

Raja Man Singh:—Sir, the most important problem pointed out by the Raj Pramukh is the law and order situation in this State and the use of the Preventive Detention Act. To the best of my knowledge nearly all the arrests made under the Act have been set aside by the High Court. This obviously means that the arrests were made for other motives, perhaps, to harass innocent persons and to maintain a sure majority in this House. I would like to learn more about this from the Treasury Benches.

Reference has been made to the satisfactory procurement system in the Province. I have noted that the Government, apart from procuring grains, have had to resort to procure a new Chief Minister every now and then during the last four years. But I am glad to hear the system formerly in vogue has been replaced by a system of monopoly procurement, although improvement is still doubtful.

There is a mention in the Address to the Local Self-Government; that the Government has been following the policies which had already proved satisfactory. I would like to inform the House of one such "satisfactory" case. The Bharatpur City Municipal Elections which were formerly declared to be held in early September 1952 have been indefinitely postponed for no justifiable reason, other than perhaps, the party in power fears the usual defeat. If this is a satisfactory policy then I must congratulate the Government.

We have been informed, Sir, that the integration of services has proceeded satisfactorily. The general discontentment in the services of Rajasthan is not a hidden secret from any of us. There

are too many cases in which unqualified personnel have been given preference over experienced and qualified officials. I would request the Government to make detailed enquiries, Sir, and to settle such cases with justice and understanding.

There are a few words I should like to read out from the Address. I quote from page 11, para 21. "I should like to once again emphasise that for the successful working of the Democracy it is necessary to have the spirit of tolerance, compromise, mutual understanding, goodwill and co-operation." I should like to remind my Congress friends that their party could secure only 40% of the votes in the General Elections and that in some parts of Rajasthan they suffered total defeat. Inspite of all this, during the last six months all the non-official Committees and Boards formed to advise the Government consisting of entirely and absolutely members of the Congress sect, even to the extent of ignoring the existence of the non-congress peoples of this Province and their representatives in this House. Is this, Sir, the spirit of tolerance, compromise, mutual understanding, goodwill and co-operation of the so-called democracy in Rajasthan that we hear so much about? Those of my friends who do not know the meaning of those words should go back again to school (Rejoice)

श्री कर्नल दिलीपसिंह:—मैं आप सरदारों के सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वे बहुत सी बातें हैं, बहुत से पोइन्ट्स हैं, जो लॉ एण्ड ऑर्डर से और दूसरे विषयों से भी सम्बन्ध रखने वाले हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में जो आपको अर्ज करना चाहता हूं उससे आपको मालूम होगा कि गवर्नमेन्ट ने कैसी विन्डिक्टिवनेस की है। मैं उदयपुर डिविजन के सम्बन्ध में एक एक्जाम्पल (उदाहरण) देता हूं और वह है रूपनगर के ठाकुर साहब की। जिस समय राजप्रमुख साहिब उदयपुर तशरीफ लाये थे उस वक्त मैं भी एरोड्रॉम पर मौजूद था। एरोड्रोम पर एक मिनिस्टर साहब ने एस० पी० को अलग लेजा कर यह कहा था कि साले को क्यों नहीं बन्द कर देते? मैंने यह बात सुनी थी। मेरे कानों में इसका ओवर हियर हुआ था। देखिये कैसा जुल्म होता है? फिर खबर आई कि उनको अरेस्ट (बन्दी) कर लिया गया। अब आप लोगों को मालूम होगा कि किस प्रकार विन्डिक्टिवनेस की गई है। इस सम्बन्ध में टेलीफोन पर भी इन्फोर्म किया गया था। ये सारी बातें हमारा एक आदमी टेलीफोन एक्सचेन्ज पर सुन रहा था। उसने हमें कहा कि ऐसी बात हो रही थी और यह पूछा गया कि उसको अरेस्ट किया या नहीं।

अब मैं किशनगढ़ के इलेक्शन पर आता हूं। सनवाड़ डिस्ट्रिक्ट से मैं आ रहा था और हमारे आगे एक मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी। गाड़ी सरकारी थी और उसमें अपनी पार्टी के लोगों को लिया गया था। ओक्ट्रोय कस्टम पोस्ट पर कहा गया कि पीछे डाकुओं की मोटर आ रही है उसको अरेस्ट कर लिया जाय। आखिर हमारी गाड़ी को रोका गया और हमसे पूछा गया

कि आगे मिनिस्टर साहब की गाड़ी गई और आपके लिए फलां फलां ने कहा था कि उनकी गाड़ी को अरेस्ट कर लिया जाय ।

पुलिस फोर्स का तमाशा देखिये । जिस कोन्स्टिटचुएन्सी से मैं आ रहा हूं वहां माउन्टेड पुलिस लगाई गई है । अगर इन्क्वायरी की जाय तो मैं साबित कर सकता हूं कि वह बेगार ले रही है। खेतों से रजका मंगा रही है, घोड़ों को खिलाने के लिए। क्या यह पुलिस लॉ एन्ड ओर्डर के लिए है या राजस्थान में घास नहीं होने से वहा चराई के लिए घोड़ों को भेजा गया है ।

अब आप फूड (खाद्य) सिचुएशन (स्थिति) को लीजिए । श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में यह कहा गया कि हमारी फूड सिचुएशन (खाद्य स्थिति) अच्छी हो गई है । हमारा इलाका हिली ट्रेक्ट (पहाड़ी भाग) है, जिसमें भील और मीणे लोग अधिक रहते हैं । किन्हीं मिनिस्टर साहब ने शायद ही उधर का दौरा- किया होगा । मुमकिन है अपनी कोन्स्टिटचुएन्सी का दौरा किया हो । आप लोगों को मालूम होगा कि ये लोग आज भी सांवा, हमारे इधर अनाज न मिलने पर ये जातियां इनको खाने में लाती है, खाकर रहती हैं । यह फसल तो टिड्डियों के आजाने एवं वर्षा अधिक हो जाने से हुई ही नहीं । इस सम्बन्ध में कमिश्नर को रिपोर्ट दी गई । कहा भी यह गया कि दुकानें खुलवाई जावेंगी । किन्तु न तो दुकानें ही खुली हैं और न नाज का पूरा इन्तजाम हुआ है । यह फूड सिचुएशन (खाद्य स्थिति) की तारीफ है । खाने का सवाल तो छोड़ दीजिए । बोने के लिए तक बीज नहीं है । भील और मीणे एक एक दाने को तरसते फिर रहे हैं ।

आगे यह बताया गया कि बहुत से एरियाज (क्षेत्रों) में बांध बांधे गये । ये कौनसी डिस्ट्रिक्ट में हैं । कितने वेल (कुए) खुदवाये गये और कितना उनसे इरीगेशन (सिंचाई) हुआ, कितने वेलस शिडयूल्ड एरिया में और शिडयूल्ड कास्ट के लिये खुदवाये गये और उनसे क्या फायदा हुआ आदि पर कुछ भी नहीं कहा गया । हमें यह बताया जाना चाहिए था कि इतने कुंए खोदे गये इनसे इतना इरीगेशन हुआ और इनसे लोगों को इतना फायदा हुआ ।

राजप्रमुख साहब फरमा रहे थे कि पाम से गुड़ निकालने का प्रयोग हो रहा है । राजस्थान में कौनसा ऐसा हिस्सा है जहां पाम-ट्रीज हैं ? पाम-ट्रीज तो समुद्र के किनारे होते हैं । अलबत्ता राजस्थान में खजूरें तो हैं और शायद इन्हीं को पाम मान लिया गया हो । जहां पर इस समय इसका एक्स्पेरिमेन्ट किया जा रहा है उस जगह इस सम्बन्ध में पहले सेन्सेज किया गया था नहीं कि कितने तो फालतू दरख्त हैं और कितने काम में आने वाले ? उन दरख्तों से कितना गुड़ बनेगा और उन पर कितना खर्चा लगेगा ? लम्बी लिस्ट बना कर सबको गुलदस्तों के माफिक तैयार कर देना तारीफ की बात नहीं । साईंस मेरी भी सैकिंड लेंग्वेज (भाषा) थी ।

श्री सम्पतराम:--On a point of order, Sir, Science is not a language.

इन्डस्ट्रियल पोलिसी का हाल भी देखिये । श्रीमन् राजप्रमुख साहिब ने अपने अभिभाषण में फरमाया कि हमारी इन्डस्ट्रियल पोलिसी भी काफी अच्छी प्रगति कर रही है। में आपको एक एक्जाम्पल (उदाहरण) देता हूं–उदयपुर की इन्डस्ट्रियल पोलिसी के बारे में । उदयपुर में जो डिस्टिलरी है उसका ठेका इसी साल खत्म होने वाला था । यहां से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भेजा गया। डिस्टिलरी का एस्टीमेट बनाया गया । एस्टीमेट कीमत से चौगुना बताया गया । इन्ट्रेस्टेड पार्टी को खुश करने के लिए बगैर ऑक्शन यह काम किया गया और उसी पार्टी को वापिस ठेका दे दिया गया । आप इन्क्वायरी करियेगा, देखिये कितने गुल खुलते हैं । यह एक इन्डस्ट्रियल पोलिसी का नमूना है । लाउड स्पीकर जो लगे हैं, यह भी एक नई इन्डस्ट्री है और इसका पता आपको चल ही गया है ।

सेटलमेन्ट ऑफ एक्स-सोल्जर्स के सवाल को भी नहीं लिया गया । श्रीमन् राजप्रमुख साहिब के अभिभाषण में बताया गया कि इन्टीग्रेशन का काम पूरा होने जा रहा है । में एक्स सोल्जर्स के बारे में जानना चाहता हूं कि उनके लिए क्या किया गया । गये वक्त में जब बजट पेश किया गया था उस समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही अहमियत का था। इस स्पीच के अन्दर भी एक्स सोल्जर्स के सेटलमेन्ट का हिस्सा निकाल दिया गया है । ५०-६० हजार सोल्जर्स (सिपाही) बैठे हैं । यह फरमा दिया जाता है कि इतने हजार के लिए यह कर दिया गया है । मैं राजप्रमुख साहिब के आदमियों से यह जानना चाहता हूं कि क्या एक भी एक्स सोल्जर सेटल किया गया ? क्या उनको कोई जमीन दी गई ? मैं भी एक एक्स सोल्जर रहा हूं । मुझे तो पेन्शन भी मिलती है–तीन सौ चार सौ के करीब; किन्तु उन लोगों के लिये कुछ किया गया हो; मुझे नहीं मालूम । मेरी कॉन्स्टिटचुएन्सी के लिए तो कुछ नहीं किया गया । दूसरी कॉन्स्टिटचुएन्सी से आये हुए सरदार कह सकते हैं कि उनकी कॉन्स्टिटचुएन्सी के रहने वाले कितने एक्स सोल्जर्स को सेटल किया गया ।

अतः में राजप्रमुख साहिब को किस बात के लिए धन्यवाद दूं । जिन सोल्जर्स को २-३ रुपये मिलते हैं उनको थेंक्स (धन्यवाद) देने के लिए राजप्रमुख साहिब ने क्या किया है ।

राजप्रमुख महोदय ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हम एसेन्शियल सर्विसेज के लिए प्रिवेन्टिव डीटेंन्शन एक्ट भी लागू कर रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह हड़ताल करना आदि सिखाया किसने है, किस पार्टी ने यह सिखाया ? उदयपुर पॉवर हाउस में आज जो हड़ताल चल रही है उसमें कांग्रेसी झंडे वाले ही आगे बैठे हैं और जनता को उकसा रहे हैं। मेरा अर्ज करने का यह मतलब है कि जिस पार्टी ने यह सबको हड़ताल आदि करना लोगों को सिखाया उसका फल वह खुद भोगे; इसके लिये कानून आदि बनाने की क्या जरूरत है ?

राजप्रमुख साहब ने अपने भाषण में यह भी फरमाया कि हम इलेक्टोरल रोल बना हें। इलेक्टोरल रोल बनाना जरूरी है। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था उस समय भी इन इलेक्टोरल रोल में बहुत खामियां थीं। मेरे ख्याल में नयें इलेक्टोरल रोल बनाने का यह मतलब तो नहीं कि नई कोन्स्टीटयुएंसीज बनाई जायं। बहुत सी जगह जहां हमारी कांग्रेस पार्टी को हार खानी पड़ी उनको तोड़ कर नयी कोन्स्टीटयुएन्सीज तो नहीं बनाई जा रही हैं?

अभी कुछ दिनों पहले का जिक्र है कि एक माननीय मंत्री महोदय मावली जंक्शन पर फरमा रहे थे कि आपको कोन्स्टीटयुएन्सी हटाई जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह ठीक नहीं है।

बहुत सदस्य बोलने वाले हैं इसलिये मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

श्री मदन मोहनः--अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण जो कल इस सदन में हुआ था उसे लेकर जो बहस यहां हो रही है उस सम्बध में मुझे भी अपने विचार इस सदन के सामने रखने हैं।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर यदि एक रस्म अदा करने के लिए ही धन्यवाद देना जरूरी होता तो मेरे ख्याल से सदन का कोई भी सदस्य इस मामले में आपत्ति नहीं करेगा। जहां तक कांग्रेसी मित्रों का सवाल है उन्होंने इस रस्म को अदा कर दिया है और धन्यवाद का प्रस्ताव व उस का समर्थन भी किया गया है। इसके बाद उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहना जरूरी नहीं समझा या उन्हें कुछ कहना ही नहीं है। मगर यह अभिभाषण जब हमारे सामने आया तो हमने देखा कि सरकार की जो कारगुजारियां अब तक हुई उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और इस संबन्ध में यह कहा गया है कि सरकार ने अब तक जो कुछ काम किया है उससे जनता जनार्दन को वाकई फायदा हुआ है। लोगों का आर्थिक स्तर, उठाने में लोगों की सुख सुविधा और शान्ति के साधन उपलब्ध कराने के लिए जो कुछ किया गया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। मैं सदन के सदस्य के नाते यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां की जनता को इस बात से कोई संबन्ध नहीं कि हम पर राज्य कौन करता है। एक मनुष्य का राज्य है या एक राजा है या महाराजा है या डेमोक्रेसी है या ब्युरोक्रेसी है; प्रजा को तो सुख चाहिये, हमको खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिये, रोजगार चाहिये और सस्ता न्याय चाहिये। इन सब चीजों का प्रबन्ध हमारी सरकार की ओर से किया गया है या नहीं यह हमें देखना है? मुझे अफसोस के साथ सदन के सामने यह रखना पड़ता है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो भाषण दिया उसमें यह नहीं बतलाया गया है कि इन समस्याओं के संबन्ध में सरकार ने कुछ किया है।

जहां तक खाद्य सामग्री का सवाल है यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पहली सरकार के बनने से लेकर आजतक खाद्य सामग्री की स्थिति में जो असुविधायें पहले थीं वे अब भी हैं और इस विषय में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता इसी प्रकार कपड़े के भाव भी जो पहले थे वे अब भी हैं; इसमें भी जनता को कोई खास फायदा हुआ हो, यह नजर नहीं आता।

राज-कर्मचारियों का सवाल लीजिये। आये दिन सरकार की ओर से लिस्टें निकाली जाती हैं। इन्टीग्रेशन आफ सर्विसेज के नाम पर हमारे उन भाइयों पर बड़ी दर्दनाक चालें चली गई हैं। जिनकी बीसियों वर्ष की नौकरी है उनको नौकरी से निकाल दिया गया; यह इस सदन के सदस्यों से छिपी हुई बात नहीं है। जिनको रोजी नहीं मिल रही है उन्हें रोजी दिलाना तो दूर रहा; जो ऑलरेडी (पहले से ही) सर्विसेज में हैं उन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। यह जनता के लिए और सरकार के लिये कहां तक हितकर चीज हो सकती है। यह हाउस के सदस्यों के लिए विचारणीय वस्तु है। इस विषय में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है जिसे देखकर हमें दुख के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की पिछली बैठक में हमको सरकार की ओर से जगह जगह यह बात कही गई थी कि हमारे पास पैसा नहीं है; इसलिये शिक्षा के लिए स्कूलें नहीं खोली जा सकती और खास कर जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं उसके लिये यह कहा गया था। मगर मैं आपकी जानकारी के लिये यह बताना उचित समझता हूं कि उस जगह के लिये भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का आदेश हाई स्कूल के विषय में हो चुका था मगर फिर भी हमारे क्षेत्र में किसी न किसी बहाने से वह स्कूल नहीं खोली गई और उसे रोक दी गई। हमें श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में यदि यह बताया जाता कि किस किस जगह जनता के फायदे के लिये स्कूलें खोली गई और कहां कहां खोली जावेंगी तो हमें संतोष होता। मगर सिर्फ जयपुर युनिवर्सिटी में एक नया विभाग किसी खास किस्म की शिक्षा देने के लिये खोल दिया गया; इससे जनता को फायदा नहीं होता। हमारी आम जनता गांवों में रहती है और ८० प्रतिशत अशिक्षित हैं। गांवों में रहने वाली जनता के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये था। जो युनिवर्सिटी में नया विभाग खोला गया है उससे गांव के बच्चों को लाभ नहीं होगा। हमें छोटे छोटे स्कूलों की जरूरत है जिससे कि गांव के अशिक्षित लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना जीवन सुधार सकें। इसकी तरफ क्या कदम उठाया गया इसका जिक्र श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में नहीं और इसे देख कर हमें सिवाय असंतोष के कोई बात दिखाई नहीं देती।

जब मैं थोड़े से शब्दों में जनता के लिये जो न्याय की व्यवस्था है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे एक वकील होने के नाते न्याय, जो मुफसिल कोर्टो में होता है उनको देखने का रात दिन अवसर मिलता रहता है। लेकिन मुझे अफ़शोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार की सभ्य सरकार के इन्तजाम में हम रह रहे हैं और जो सरकार इस बात का दावा करती है कि वह जनता के नुमाइन्दों की सरकार है और जो हम लोगों के फायदे के लिए काम कर रही है अगर ऐसी सरकार में भी लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिले और अपने मुकद्मों के लिये वर्षों बरबाद होना पड़े, उनके द्वारा पेश की गई अर्जियों का महीनों तक पता नहीं लगा और उसका कारण यह हो कि अहलकार जी को पैसे नहीं दिये जिसके कारण उनके कागजों का पता नहीं लगे, वे कागजात पेश नहीं किये जायं तो यह बड़ी शर्म की बात है। हमारे वे भाई जिनकी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं अपने

अज्ञान कि ठोकरों को लेकर अदालत में यह समझ कर कि मुन्सिफ और हाकिम उनका इन्साफ करेंगे, आते हैं ? लेकिन बजाय इसके कि उनका इंसाफ किया जावे परेशान किया जाता है और मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं और साबित भी कर सकता हूं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस फैले हुए भ्रष्टाचार को देख कर किसी भी व्यवहारशील आदमी के दिल में चोट लगे बगैर नहीं रह सकती। इसलिये मैं माननीय सदस्यों के सामने यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि राजप्रमुख के भाषण में जो कुछ न्याय और शिक्षा, बेकारी और खाद्य समस्या आदि के बारे में जिनकी आम जनता को तकलीफ है इसका कोई जिक नहीं है; न यह बताया है कि इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है व क्या कदम आगे को उठाना चाहती है ? अगर वे बातें होती तो वे अवश्य धन्यवाद के पात्र थे। मगर खेद है कि इन बातों पर कोई प्रकाश नही डाला गया। लोगों के दिलों में सरकार के प्रति क्या भावना है, उसे यदि आप जानना चाहें तो हथाइयों पर, रेलगाड़ियों में सुनें। खास कर हमारे नेता लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारा जनता से सम्पर्क है, अगर इन बातों को सुनें तो उन्हें मालूम होगा कि सरकार के प्रति आम लोगों की क्या धारणा है। उन लोगों की जो धारणा है उसको जब तक ठीक नहीं कि जावेगी, तो इन भाषणों से, हमारे व आपके मिल जुलकर बैठने से, और लम्बे चौड़े वक्तव्य देने से तो कोई फायदा नहीं हो सकता। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण को सुनते वक्त मुझे मेरे एक मित्र की एक बात याद आई जो यह कहते थे कि हर इन्सान, पशु पक्षी आदि की सौबत से भी, कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इस बात को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ और मैंने उनसे कहा कि ऊंट के साथ रह कर क्या सीखा जा सकता है ? उनसे यह मालूम हुआ कि राजस्थान में ऊंट एक जरूरी जानवर है और उससे गुण उन्होंने जरूर सीखे हैं। ऊंट का एक खास गुण जो उसे "सुतरगुमजा" कहते हैं वह यह कि चाहे वह कितना ही बदसूरत हो उसके अंग कितने भी टेढे हों लेकिन जब मटक मटक करचलाता है तो दुनिया को दिखाता है कि वह बदसूरत नहीं बल्कि बहुत ही खूब सूरत है। उन्होंने उसका दूसरा गुण जो बतलाया वह था। "सुतरकीना"। इसके मायने यह हैं कि ऊंट जिससे रंजिश पकड़ लेता है, चाहे वह उसका मालिक ही क्यों न हो साल भर बाद भी मौका पाकर बदला अवश्य निकालता है। हमारी राजस्थान की सरकार ने इस राजस्थानी पशु के ये गुण अवश्य सीखे हैं। हम विरोधी दल में बैठने वाले कोशिश करते हैं कि अच्छे कामों में आपको सहयोग दें। हम सिर्फ किसी को खुश करने के लिये या अनुचित अड़चन पैदा करने के लिये कोई बात नहीं रखते। जो बात हमारे ध्यान में जनता के सम्पर्क से आती है उसे आपके समक्ष रखते हैं। और आशा करते हैं कि सरकार उन चीजों की जनता के लिये प्रबन्ध करेगी और मैं यह आशा करता हूं कि जब कभी हमें फिर से श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण सुनने का मौका मिलेगा और उसमें यदि हम उन चीजों को जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है, पावेंगे तो उस समय हम उन्हें धन्यवाद भी देंगे और हृदय से उसका समर्थन भी करेंगे।

श्री गंगासहः—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण कल सदन में हुआ और वे बड़े ठाट बाट से इस सदन में भाषण देने के लिये पधारे।

हमें उनके इस भाषण के पूर्व बहुत कुछ आशाएं थीं कि श्रीमन् राजप्रमुख पधारकर अपने राज्य की ऐसी नीति का विवरण रखेंगें जिसके कारण जनता और राजस्थान की भलाई होगी, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण में कोई नई चीज नहीं मिली। वही पुरानी कथा लिये हुए अभिभाषण था। वह वैसा ही था जैसा पहले उन्होंने दिया था। वे यहां पधारे और उन्होंने सच्चाई से रहित एक कहानी मात्र हमारे सामने कही और मैं इस कहानी को शेखचिल्ली की कहानी से ज्यादा नहीं समझता। शेखचिल्ली की कहानी इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें तथ्यहीन बातें थीं और राजस्थान के उत्थान के लिये कोई भी नई बात नहीं बताई गई। ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने मनोरञ्जन के लिये यह कहानी कही और १५ मिनिट में मनोरञ्जनपूर्ण कहानी सुनाई।

श्री श्रीदास गोयल:–अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजप्रमुख के भाषण को एक शिखचिल्ली की कहानी कहा है; मैं यह समझता हूं कि यह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के खिलाफ है। अत: मैं इस सम्बन्ध में आपसे कुछ आदेश चाहता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल: Particularly when referring to the address of His Highness the Rajpramukh.

श्री गंगासिंह:-I have not..............

श्री अध्यक्ष:–आपही ने कहा कि शेखचिल्ली की कहानी है; राजप्रमुख ने नहीं कहा।

श्री गंगासिंह:–श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण के पेरा ३ में कहा है कि लॉ एन्ड ओर्डर को बहुत कुछ सुधार लिया है और इसलिये गवर्नमेन्ट को उन्होंने इसके लिये बहुत धन्यवाद दिया। मैं इस सम्बन्ध में यह कह सकता हू कि गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में कुछ काम नहीं किया। जनता ने बहुत भारी काम किया और अपने लॉ एन्ड ओर्डर की बिगड़ी हुई हालत को देखकर इस काम को अपने हाथ में लिया। श्रीमन् राजप्रमुख को वास्तविक स्थिति का पता नहीं और जो रिपोर्ट पुलिस ने दी है उस पर राजप्रमुख ने गवर्नमेन्ट को बधाई दी। इसके बाद यह कहा गया है कि उनको प्रिवेन्टिव डिटेन्शन नामक हथियार मिला है जिसके कारण उन्होंने लॉ एन्ड ओर्डर की बिगड़ी स्थिति पर विजय पाई है और इसी एक प्रिवेन्टिव डिटेन्शन नाम के हथियार से राजस्थान में लॉ एन्ड आर्डर को सुधार दिया है। यह हथियार कैसा है और किस तरह से इसको काम में लिया है, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा।

जो नीति कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए घोषित की गई थी वह प्रजातंत्र के अधिकारों को दबाने के लिये साबित हुई और हमने देखा कि जो निर्दोष आदमी थे उनको इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत दबाया गया व कैद किया गया। इस एक्ट का उपयोग राजनैतिक कारणों को लेकर हुआ और वे कारण भी हमारे सामने आगये हैं। हमारे सदन के एक सदस्य श्री केसरीसिंहजी को इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अंतर्गत डिटेन किया गया और उन पर जो दोष लगाये गये उन में से कुछ मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे कि आपको यह मालूम हो

जावे कि किस तरह से उस कानून का दुरुपयोग हुआ है । उसमें प्रथम कारण यह लिखा है कि तुमने जोधपुर गवर्नमेन्ट के समय सेटलमेन्ट की खिलाफत की थी । यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के लिये कितना काफी और न्यायसंगत कारण है; यह आप खुद सोच सकते हैं ? उन्होंने अवश्य ही सेटलमेन्ट करवाने की खिलाफत की थी । उसका कारण यह था कि जब जोधपुर गवर्नमेन्ट सेटलसेन्ट करना चाहती थी उस समय बिना किसी कानून के बनाये वह सेटलमेन्ट करना चाहती थी । ठाकुरसाहब ने इसका विरोध किया और कहा कि पहले इस संबंध में कानून बनाओ; ऊटपटांग कार्यवाही नहीं की जा सकती और उनकी यह बात न्याय-संगत भी थी । जोधपुर सरकार के सामने उन्होंने खिलाफत की थी उसको एक युग बीत गया है । करीब ९-१० वर्ष पहले जोधपुर महाराजा और उनके बीच में लिखा पढ़ी हुई थी । उस समय उन्होंने कहा था कि या तो कानून बनाओ या मुझे गद्दी से हटाकर सेटलमेन्ट करो; नहीं तो नहीं कर सकते । जोधपुर महाराजा ने उनकी बात मान ली थी । उनको डिटेन करने का दूसरा कारण यह बतलाया है कि तुम्हारे आदमियों ने तेजाराम को पिटवाया है । इस नेता को किसने पीटा, यह नहीं कहा जा सकता । उन आदमियों के खिलाफ अदालत में केस चला था और अदालत से वे सारे आदमी बरी हुए थे । मालूम नहीं पड़ता कि जब लॉं कोर्ट ने एक बार किसी आदमी को बरी कर दिया है तो उसी आदमी के खिलाफ उसी संबंध में कैसे इलजाम लगाये जाते हैं । ऐसा कहीं नहीं होता परन्तु हमारी सरकार ने ऐसा किया जो कानून और नैतिकता के विरुद्ध है । तीसरा कारण उनको डिटेन करने का यह बतलाया गया है कि तुमने सूरसिंह को नौकर रखा जो डाकू बदनसिंह का पिता है और जिस बदनसिंह के कारण मलारना-काण्ड हुआ । मैं समझ नहीं सका कि यह कारण कानून व न्याय की तराजू में कहां तक आसकता है । सूरसिंह पर कभी कोई केस नहीं चला, वह नागौर तहसील में नौकर था । वहां २-३ साल नौकरी की; फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स में ठिकाने में नौकर रख लिया गया । वह सूरसिंह बदनसिंह का पिता अवश्य है; पर डाके से उसका कोई संबन्ध नहीं था । फिर भी यदि सूरसिंह का बदनसिंह से कोई कनेक्शन (संबंध) भी होता तो उसमें ठाकुर साहब का क्या हाथ हो सकता था ? इस बहस दलील में कितनी सत्यता है और यह कारण प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के लिये कितना काफी हो सकता है; मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा-सदन खुद सोच सकता है । तीसरा कारण यह बतलाया, तुम्हारी सरहद में डाकू पनाह पाते हैं । यह नहीं कहा गया कि तुम डाकुओं को पनाह देते हो । किसी की जागीर में डाकू पनाह पाते हैं तो यह कहां तक वाजिब है कि उस जागीर के मालिक को सजा दी जाय । इस तरह भोले-भाले आदमियों को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में रखा जाता है । राजस्थान की सरहद में भी डाकू पनाह पाते हैं तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अंतर्गत क्यों नहीं डिटेन किया जाता? मैं समझ नहीं पाता कि ये कारण कहां तक वाजिब हैं? एक और कारण यह बताया गया कि तुम्हारी सरहद में सोमानी बच्चा रखा गया था । किसान कार्यकर्ताओं के और ठाकुर साहब के काफी झगड़ा चल रहा था; इसलिये ठिकाने को किसी तरह से दबाने के लिये ठाकुर साहब को डिटेन किया गया । प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के अन्य मामलों के बारे में भी मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कहूंगा ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि गत ६ महीनों में शिक्षा, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, स्थानीय स्वायत्त शासन के संबंध में सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है वह काफी संतोषजनक है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह केवल कल्पना मात्र है। राजस्थान में कभी भी शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वायत्त शासन की नीति संतोषप्रद रही ही नहीं। यहाँ संतोषजनक नीति का हमेशा अभाव ही रहा है। शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हैड मास्टर के रहने के कमरे स्कूल के काम में आते हैं और उनके पठन-पाठन, ट्यूशन आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है। मास्टर आते हैं और अपना समय व्यतीत करके चले जाते हैं।

मैं कुछ स्वायत शासन के संबंध मे अर्ज करूंगा। मैंने पिछले अधिवेशन में कहा कि अरबन इंप्रूवमेन्ट बोर्ड में बहुत धांधली हुई थी। लाखों रुपयों की आमदनी के प्लोट कुछ ही रुपयों में बेच दिये गये थे; जिससे राज्य के कोष में व जनता को नुक्सान हुआ। इसके बारे में प्रिलिमनेरी इन्क्वायरी (प्राथमिक जांच) होनी चाहिये; पिछले मिनिस्टरों ने जो प्लोट लिये थे उनकी अब तक जांच करके रिपोर्ट आनी चाहिये थी। लेकिन दुःख है कि उस संबंध में अब तक कुछ नहीं हुआ। चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस को रुपये चाहिये थे। इसलिये लाखों रुपयों की कीमत की जमीन कुछ ही रुपयों में इसलिये देदी गई कि उन्होंने कांग्रेस में रुपया दिया। जो 'सी' स्कीम में प्लोट दिये गये थे उनको यदि नीलाम करते और ज्यादा से ज्यादा कीमत देने वाले को बेचते तो काफी आमदनी होती। लेकिन ऑक्शन (नीलाम) क्यों करें ? ऑक्शन से उनको क्या फायदा? मिनिस्टरों और अन्य अफसरों को प्लोट लेने थे; इसलिये नीलाम की कोई जरूरत नहीं समझी गई।

पंचायतों में जो गड़बड़ी है वह किसी से छिपी नहीं है। पंचायतों के सिलसिले में एक खास उद्देश्य से काम किया गया है। पंचायतों की व्यवस्था करते समय उनके सामने सन् १९५७ के चुनाव सरकार के सामने रहते हैं। वह चुनाव पंचायतों के कारण ही जीता जा सकता है; ऐसा ये लोग समझते हैं। पंचायतों के चुनाव में अपने आदमी ही चुने जावें; ऐसा प्रबन्ध इन्होंने करना प्रारम्भ किया है। सरकारी अफसरों पर दबाव डाला गया कि वे उनके आदमियों को ही सरपंच या पंच चुनें। चुनाव के समय यदि दूसरे आदमी ज्यादा आ जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि चुनाव आज न करके कल करेंगे और फिर जब दूसरे आदमी चले जाते हैं और उनके आदमी रह जाते हैं तब दो घंटों के बाद चुनाव कर लेते हैं। एक गांव के बारे में मुख्य मंत्रीजी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी और चीफ सेक्रेट्री को रिपोर्ट लिखी थी। मेरे चुनाव क्षेत्र के गांव जायल में पंचायत के चुनाव के सिलसिले में बड़ी जबर्दस्त गड़बड़ की गई थी। जब अफसर ने देखा कि कांग्रेस पार्टी हार जायगी तो उसने कहा कि अब इलेक्शन नहीं करना है; कल करेंगे। दूसरी पार्टी ने कहा कि तारीख दे दी गई है कल कैसे हो सकता है ? तो कुछ गुन्डों को कहा गया कि वे भद्दे गाने गायें। जब ब्राह्मणों और उनकी औरतों ने देखा कि इलेक्शन टाल दिया गया है तो चला जाय। दूसरी और भद्दे गाने भी शुरू हो चुके थे और औरतों का

वहां ठहराना मुश्किल हो गया था। विरोधी दल जो अपनी औरतों आदि को लेकर वहां आया था वहां से चला गया। कांग्रेस पार्टी ने देखा कि जब विरोधी दल चला गया और औरतों आदि के वोट भी अब इनके खिलाफ इतने नहीं गिरेंगे तो उन्होंने सोचा कि चुनाव कर ही लिया जाय। वे वहां से दूसरी जगह इकट्ठे होगये। जब विरोधी पार्टी को मालूम हुआ कि चुनाव शुरू कर दिया गया तो वे वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कल के लिए चुनाव करने को कहा था तो वे आज कैसे कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि हमारे आदमियों को भी इजाजत दीजिए तो उन्होंने कहा कि अब समय समाप्त होगया है; इजाजत नहीं देंगे। अतः एक ही पार्टी के ९ के ९ ही सदस्य ले लिये और कोई नीच जाति का आदमी मेम्बर नहीं लिया गया।

श्री अमृतलाल यादवः—आई वान्ट टू नो हु इज "नीच जाति" इन इन्डिया ?

श्री गंगासिंहः—आइ एम सोरी।

अतः एक ही जाति के सरपन्च होगये सरपन्च पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि काम चल सके; किन्तु जो मेम्बर्स चुने गये हैं उनमें से एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। सरपन्च और उप सरपन्च पढ़े लिखे होने ही चाहिए, किन्तु दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। अब एक्ट आरहा है कि सरपन्च और उप-सरपन्च पढ़े लिखे होने चाहिए; नहीं तो हटा दिये जावेंगे।

इसके अलावा राजप्रमुख ने पिछले पेरा में केवल उपदेश मात्र दिया है। २१ वें पेरा से उपदेश शुरू होता है। न मालूम वे उपदेश देने आये थे या नीति का कार्यक्रम बतलाने आये थे।

तारांकित प्रश्न

श्री खेतसिंहः—लाउड स्पीकर मेरे सामने आया है अतः मैं भी बोलना चाहता हूं। अब क्वश्चन का समय आगया है; अतः यदि क्वश्चन लिये जा रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री टीकाराम पालीवालः—आज का कार्यक्रम हम लोगों को बहुत देर से मिला था। क्वश्चन्स के रिप्लाईज हमारे दफ्तरों में रखे होंगे, लाये नहीं हैं। अतः कल के लिए पोस्टपोन (स्थगित) कर दिये जायं।

श्री जसवन्तसिंहः—आज के प्रोग्राम के अनुसार ११॥ बजे के बाद क्वश्चन पूछने का समय रखा गया है। यदि सरकार प्रश्नों का जवाब देने को तैयार नहीं है या माननीय चीफ मिनिस्टर को जवाब तैयार करने के लिए समय नहीं मिला है तो फिर बहस आगे नहीं चल सकती। दूसरे कार्य के अनुसार सदन कल मीट करेगा। यदि कार्य चालू रखना ही है तो फिर क्वश्चन्स ही आ सकेंगे।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--मुझे यह सूचना पाते हुए बड़ा दुःख होता है कि जब इतने अर्से के पहले सरकार के पास क्वश्चन्स भेज दिये जाते हैं तब भी उनको आसानी नहीं मालूम होती है; यह दुःख की बात है । दूसरी बात, हाउस का प्रोग्राम हम लोगों के पास करीब हर रोज इतनी देर से पहुंचता है कि शायद हमें पढने के लिए भी मौका नहीं मिलता ।

अध्यक्ष महोदयः--कुछ लोग शीघ्र ही न आ पाये होंगे ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--मैं बहुत दिनों पहले ही आ चुका हूं और मुझे प्रोग्राम सवेरे ही मिला है। यही बात दूसरे साथियों के लिए भी लागू होती है । जब सरकारी मंत्रियों के पास इतनी फैसिलिटीज होते हुए भी सवालात का जवाब देने में सहूलियत नहीं मिल पाती तो हम लोगों का भी ख्याल रखा जाय कि आज का प्रोग्राम २४ घंटे के पहले पहुंच जाय; ताकि उन्हें पढ सकें, सोच सकें और काम की बात निवेदन कर सकें। यह एक खास बात है जो इस हाउस की कार्यवाही पर गहरा असर डालती है। अतः इसका पर्याप्त इन्तजाम होना चाहिए।

अब रहा प्रश्नों के जवाब के सम्बन्ध में । जो कुछ मुख्य मंत्रीजी ने कहा है उसको ध्यानपूर्वक सुना है और विचार किया है । कोई भी पर्याप्त कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इन सवालों का जवाब न दिया जा सके ।

श्री टीकाराम पालीवालः--मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि जवाब नहीं दिया जा सकता । मैंने कहा था कि वे आफिस में रह गये हैं और आ न सके हैं । मेरे कुछ साथियों के पास आगये हैं और जवाब दिया जा सकता है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--मुझे यह निवेदन कर देना है कि क्वश्चन अवर्स को शुरू के बजाय इसीलिए पीछे रखा था कि इस दरमियान में जवाब पहुंच सकें ।

श्री अध्यक्षः--Now the controversy ends they are reaching in time. एक बात और सूचनार्थ कह दूं कि इस बार विशेष चिन्ता इस बात की है कि माननीय सदस्यों के पास सदन का प्रोग्राम काफी समय पहले पहुंच जाय । फिर भी यह शिकायत आ रही है कि कई सदस्यों के पास अभी सुबह प्रोग्राम पहुंचा है। मैं नहीं समझता कि यह गफलत क्यों हुई ? कुछ सदस्य ठीक तरह से पता वगैरह न दे सके हैं और हमारे दफतर के चपरासी (मेसेन्जर्स) जाकर लौट आते हैं क्यों कि उनको पुराना पता दिया हुआ है । अतः सदस्य-गण अपना अपना नया पता, यदि हो, तो दफ्तर के अन्दर लिखादें ताकि समय पर उनके पास प्रोग्राम पहुंचाया जा सके ।

प्रश्न संख्या २

श्री खेतसिंह:--क्या माननीय खाद्य मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(अ) राजस्थान सरकार के पास मौजूदा स्टॉक में कितना धान है और क्या क्या धान है ?

(ब) धान का भाव और भी सस्ता करने की सरकार सोच रही है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब और कितना किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या:-इस समय राजस्थान सरकार के पास २१ लाख मन अनाज है। जिसमें ९ लाख मन गेहूं, १ लाख मन जौ, १ लाख २० हजार मन चना है। गोजरा, गोचनी, बेजड़, बाजरा, ज्वार, मक्का और मिलो आदि मिलाकर १० लाख मन है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा:--इसमें से सड़ कितना रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:-मेरे ख्याल से नहीं सड़ रहा है।

श्री हरिकिशन व्यास:--जोधपुर के हेंगर में धान छाना जाता है; उसमें २० फी सदी से ज्यादा अच्छा धान नहीं निकलता ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–यह मानी हुई बात है कि यदि घर में भी अनाज लाते हैं तो प्रतिवर्ष खराब हो जाता है, उसे भी साफ करना पड़ता है। इसी तरह हर साल अनाज खराब होता है उसे साफ कराया जाता है।

श्री दिलीपसिंह:–क्या सारा का सारा गोदाम में पड़ा रहता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–ऐसा मेरे ख्याल से कहीं नहीं।

श्री मदनमोहन:–यह स्टॉक कितने अर्से से गवर्नमेन्ट के पास पड़ा हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–सन् १९५० का थोड़ा सा अनाज बचा हुआ था १९५१ के आधे से कुछ अधिक अनाज बचा और ज्यादातर अनाज १९५२ का है।

श्री कर्नल दिलीपसिंह:–क्या बचा हुआ धान गोदामों में ही पड़ा रहेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–काफी बिक रहा है।

श्री गोपीलाल यादव:–बचा हुआ अनाज कब तक सड़ा दिया जायगा ?

श्री जसवन्तसिंह:–सवाल के (ब) भाग का जवाब नहीं सुनाई पड़ा ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–राजस्थान सरकार के पास ऐसी कोई निधि नहीं है जिससे धान का भाव सस्ता किया जा सके। इस समय बजट में गुंजाइश नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार काफी प्रयत्न कर भावों को काबू में रखने का प्रयत्न कर रही है। कई २ जगह जहां भाव बढ गये थे सरकार धान की दुकानें खुलवाकर ए. आर. डी. की दुकाने खुलवाकर स्वतंत्र व्यापारियों द्वारा धान भिजवाकर भावों को काबू में रखा गया। यदि भविष्य में आप लोगों का सहयोग रहा तो धान को और सस्ता करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री जसवन्तसिंह:–व्यापारियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–कोई खास तौर से नहीं। व्यापारियों की एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी जो इस भाव में अनाज दे। उन्हें प्रोफिट से वंचित किया गया। उन्होंने उन गावों में, जहां अनाज आसानी से नहीं पहुंच सकता था, पहुंचाया।

श्री कपिलदेव:–Is it permissible to ask an entirely separate question by way of supplementary question?

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु:–माननीय अध्यक्ष में भी एक सवाल पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर, ऑर्डर। नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३

श्री खेतसिंह:–क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आई. पी. एस. (इन्डियन पुलिस सर्विस) व आई. ए. एस. (इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) की प्रथम लिस्ट में जिन २ महानुभावों के नाम हैं उन्हें तनख्वाह भी आई. पी. एस. व आई. ए. एस. ग्रेड से दी जाती है अथवा नहीं ? यदि हां तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–आई. पी. एस. अफसरों को जब उस ग्रेड में नियुक्त किया जायगा उस तारीख से वह सेलेरी दी जायगी और जब तक गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के होम डिपार्टमेन्ट से उसकी स्वीकृति नहीं आएगी तब तक तनख्वाह राजस्थान में जो मिल रही है वही मिलती रहेगी।

प्रश्न संख्या ४

श्री खेतसिंह डि. नं० ७७:–क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(अ) गत तीन मास में राजस्थान पुलिस ने कुल कितने डाकुओं का संहार किया है ?

(ब) मुख्य २ डाकुओं के क्या नाम हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—गत तीन महीनों में १८ डाकुओं को मारा गया; उनमें से मुख्य २ के नाम ये हैं पाबूदानसिंह, खानूड़ा बेटा लच्छाराम, बींजराजसिंह, भूरदान, खानूड़ा, रामसिंह, मोतीसिंह आदि २ ।

श्री सन्तोषसिंह:—खानूड़ा डाकू के मरने के आपके पास क्या प्रमाण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—पुलिस की रिपोर्ट है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह:—हमें पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि जो लाश आई है वह जली हुई थी इसलिये उसके मरने में शक होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—जब उसके जीवित होने का प्रमाण मिल जायगा तो हम उसको गलत मान लेंगे ।

श्री दिलीपसिंह:—क्या पाबूदान सिंह की लाश का पोस्ट मार्टम किया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नहीं, वहां समय पर नहीं पहुंचा जा सकता था इसलिये उसकी लाश को जला दिया गया ।

श्री दिलीपसिंह:—इसमें कुछ रहस्य मालूम होता है ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—पाबूदानसिंह खुद ही बहुत रहस्यमय व्यक्ति था । अब वह मर गया है ।

श्री भेरूसिंह:—क्या पाबूदानसिंह को छुर्रे से मारा गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नहीं, गोली से मारा गया था ।

श्री भेरूसिंह:—यह कैसे माना जा सकता है कि उसे गोली से मारा गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह, उसकी रिपोर्ट है जिसने उसको मारा है ।

श्री भीमसिंह:—डाकुओं से जो माल बरामद हुआ क्या वह उनके मालिकों को लौटा दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर ऑर्डर ।

प्रश्न संख्या ६

श्री खेतसिंह:—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

आयुर्वेदिक औषधालयों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कोई योजना तैयार कर रही है अथवा नहीं ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास:—आयुर्वेदिक औषधालयों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार के पास योजना है; परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस समय वह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती।

श्री एच० के० व्यास:—क्या राजस्थान सरकार ने ऐसा सरक्युलर निकाला है कि सरकारी मुलाजिमों के लिये रजिस्टर्ड वैद्यों द्वारा........

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर! ऑर्डर!

Mr. Speaker:—This forms part of another Question.

प्रश्न संख्या ६

श्री अश्विनिकुमार—Will the Chief Minister be pleased to state whether the existing Districts in the State of Rajasthan are to be broken up and larger districts are to be formed through the fusion of existing districts? If so:—

(i) Which are the districts that are likely to be affected by this measure;

(ii) Whether District Administration would not suffer on account of its largeness.

श्री टीकाराम पालीवाल:—राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और यह देखते हुए कि दूसरी 'ए' और 'बी' स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बहुत कम है, राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों की संख्या को कम करने का विचार किया है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है। किन किन जिलों को कम किया जावेगा यह निश्चित नहीं है।

श्री कपिलदेव:—क्या इस सम्बन्ध में कोई कमेटी बनाई गई है?

श्री कानसिंह:—क्या सरकार यह बतलाएगी कि कितने जिले रखे जावेंगे?

श्री टीकाराम पालीवाल:—अभी मैंने कहा कि कुछ जिले कम होंगे।

श्री एच० के० व्यास:—ऐसा करने में खर्चे का ही खयाल रखा जावेगा या एडमिनिस्ट्रेशन का भी खयाल रखा जायेगा?

श्री टीकाराम पालीवाल:—खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का खयाल रखा जावेगा।

एक सदस्य:—क्या सीकर जिला भी कम करने वाले जिलों में एक है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह नहीं कहा जा सकता। यही कहा जा सकता है कि २५ जिलों में से कुछ जिले कम होंगे।

श्री कपिलदेवः—इस सम्बन्ध में नोन-ओफिशियल मेम्बरों की भी राय ली गई या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवालः—अभी तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पर लिया जा रहा है।

श्री माधोसिंह (जालोर):—क्या जिलों के रिप्रेजेन्टेटिवों को इस सम्बन्ध में कन्सल्ट किया जाएगा और उनकी राय जानी जाएगी ?

श्री टीकाराम पालीवालः—नहीं। क्योंकि गवर्नमेन्ट उनकी राय पहले से जानती है। कोई भी सदस्य अपने जिले को तोड़ने की राय नहीं देगा।

श्री माधोसिंह (जालोर):— वे लोग इस पर विचार तो कर सकते।

श्री कपिलदेवः—क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कमेटी कायम करने का विचार रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवालः—नहीं।

श्री कानसिंहः—क्या जिलों के साथ साथ उनकी आबादी, क्षेत्रफल और आमदनी का भी लिहाज रखा जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवालः—आबादी और क्षेत्रफल में संभवतः आमदनी का विचार रखा जावेगा, यदि वे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुविधाजनक हों।

एक सदस्यः—..................

श्री कपिलदेवः—जिलों के निर्माण का क्या सिद्धान्त होगा ? क्या इसके लिये गवर्नमेन्ट कोई सिद्धान्त रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवालः—जैसा मैंने आप से पहले निवेदन किया, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा व कोन्टीग्युइटी ओफ रेशियो (Contiguity of ratio)..............

श्री भीमसिंहः—क्या पहले जो जिले बनाये गये थे उस वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया था ?

श्री टीकाराम पालीवालः—उस वक्त में मुख्य मंत्री नहीं था।

श्री कानसिंहः—जिलो के सिवाय तहसीलें भी तोड़ी जावेंगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–कुछ तहसीलें भी कम होंगी ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या हम यह समझें कि एक मुख्य मंत्री के बदलने पर पहले उसके किये हुए कामों को दूसरा मुख्य मंत्री बदलना जरूरी समझ लेता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–मुख्य मंत्री के बदलने पर इस प्रकार बदलना जरूरी नहीं होता । राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कायम किया गया है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–जहां तक मुझे याद है उस समय आपने यह कहा कि मैं मुख्य मंत्री नहीं था। हो सकता है कुछ समय बाद आप मुख्य मंत्री न रहें ।

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर! ऑर्डर!

प्रश्न संख्या ७

श्री अवनिकुमार: –Will the Law Minister be pleased to state:

(i) Whether it is a fact that a Vaidya employed in the Ayurvedic Department was suspended on the charge of interference with the conduct of elections and the case was referred to the Extra Magistrate, Sambhar.

(ii) Whether the Extra Magistrate, Sambhar acquitted him of the charge without issuing summons to the Principal complainant and his witnesses.

(iii) Whether on a representation from the complainant regarding the irregularity of the trial the Government refused to take any action in the matter.

(iv) Whether posting orders of the Vaidya have been issued.

श्री रामकिशोर व्यास:–(१) हां ।

(२) मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को बरी कर दिया ।

(३) कोई खिलाफ कार्यवाही नहीं की ।

(४) हां ।

श्री अवनिकुमार:–मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

I just wanted to know whether the Extra Magistrate issued any summons to the principal complainant and his witnesses, before acquitting the Vaidya. That was the subject matter of the question.

श्री रामकिशोर व्यास:—मेजिस्ट्रेट का बरी करना गवर्नमेन्ट के लिये काफी था।

Shri Abni Kumar:—Was it not the duty of the Government to look into the matter ?

Shri Ram Kishor Vyas: –We looked into the matter and no mistake of the Magistrate was found?

Shri Abni Kumar:—Was there any irregularity

श्री रामकिशोर व्यास:—कोई बेजाब्तगी कानून में नहीं पाई गई।

प्रश्न संख्या ८

श्री अवनिकुमार:—Will the Minister-in-Charge of Urban Development be pleased to state:

(i) Whether irregularities were committed by the Urban Improvement Board, Jaipur, in the matter of allotment of plots to the applicants during the past years ?

(ii) Will the Government be prepared to hold an enquiry in the matter and set things right ?

श्री रामकिशोर व्यास:—(१) नहीं

(२) प्रश्न नम्बर १ का उत्तर देने के बाद यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

प्रश्न संख्या ९

Mr. Speaker—Next

Shri Mohan Lal Sukhadia:—The question may be postponed for tomorrow.

Shri Abni Kumar:—I have not received any reply to my question.

Mr. Speaker:—This question will be taken up tomorrow. The Revenue Minister is not ready with the reply. Next

Shri Abni Kumar:—That is another example of the efficiency of Government.

प्रश्न संख्या १०

श्री जसवंत सिंह:—अगर किसी मिनिस्टर साहब को सवाल पूछा जाय और जवाब देने में असमर्थ हों तो अपनी असमर्थता तो प्रकट करें।

प्रश्न संख्या ११

Mr. Speaker:—Next.

Shri Amrit Lal Yadav:—I am not ready today.

Mr. Speaker:—Reply of this will also be given tomorrow.

Shri Abni Kumar:—Another example of red-tapism.

Mr. Speaker:—Replies to these questions will be given when the Ministers are ready. The rest of the questions will be taken today if time permits. Replies will be placed on the table and Members can see them.

प्रश्न संख्या १२

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Will the Chief Minister be pleased to say whether the Government intends removing the Jodhpur State Press from Jodhpur.

श्री टीकाराम पालीवाल:—इकोनोमिक दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की दृष्टि से जोधपुर प्रेस के Removal का सवाल सरकार के सामने है। जोधपुर प्रेस को remove करने का विचार सरकार कर रही है इसके संबन्ध में अभीतक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री संतोष सिंह—जोधपुर और बीकानेर के प्रेसों में से कौनसा प्रेस बड़ा है और मशीनें किसमें कितनी ज्यादा हैं? कौनसी प्रेस बड़ी और कौनसी छोटी है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—इसके लिए मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी—क्या "Administrative Convenience" फिकरे को समझायेंगे? सुविधा जोधपुर में न रहने से क्यों ठीक है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—Convenience और Economy के कारण।

श्री हरिकिशन व्यास:—सामान समय पर नहीं पहुंचने से मजदूर बेकार बैठे रहते हैं; इस वजह से दिखाने को ज्यादा खर्चा तो नहीं है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—ऐसा तो नहीं है।

श्री हरिकिशन व्यास:--क्या Superintendent जोधपुर Press ने गवर्नमेण्ट को बार बार Representation नहीं किये कि सामान नहीं आने से मजदूर बेकार बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष:--Reply has already been given.

प्रश्न संख्या १३

(43/S) **Shri Inder Nath Modi** M. L. A., *Div. No.* 62:—Will the Minister P.W.D. please say (*a*) How the Hemawas Bund burst during the last rains.

(*b*) Were not the pre-monsoon repairs executed to the Bund and its weak condition not forestalled ?

(*c*) How much loss of life and property did it cause to the people who used to be benefitted from its waters, and how much money on its restoration will now cost to the Government of Rajasthan ?

(*d*) Has the Government instituted an enquiry about the cause and extent of damage to the Bund; if so, with what results ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--यह प्रश्न मुझ से सम्बन्धित है अत: इसका उत्तर मैं देता हूं।

अधिक वर्षा होने से हेमावास बंध टूटा। ६ से २० इंच तक वर्षा जोधपुर और उदयपुर डिविज़न में हुई। पानी अपनी सतह से ऊपर बहा जिसके कारण हेमावास बंध टूटा।

(२) वर्षा शुरू होने से पहले जितनी सावधानी या देख रेख रखनी पडती है उतने Precautions लिये गये थे और ऐसा मालूम हुआ था कि बंध की स्थिति संतोषजनक है।

(३) किसी जान की हानि नहीं हुई। Superintending Engineer खुद मौके पर गये थे और उन्होंने देखा कि कितनी संपत्ति और जमीन का नुक्शान हुआ है। उसको बांधने की कार्यवाही की जा चुकी है और आयन्दा बाढ़ आवे और नुक्शान न हो, इसका इन्तजाम किया गया है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--क्या इसके कारणों का अन्वेषण किया गया ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--हां।

श्री देवीसिंह:--क्या वहीं इतनी वर्षा हुई थी दूसरी जगह नहीं हुई थी ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--इसके लिए Notice की जरूरत है।

श्री संतोष सिंह:--पिचियाक के बंध की मरम्मत हुई कि नहीं।

श्री अध्यक्ष:--Put up separate question.

श्री मदन मोहन:--इसकी मरम्मत में कितना खर्चा हुआ है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--एक लाख रुपया खर्च हुआ है और ९ लाख की मंजूरी हो चुकी है। इस बंध को और ऊंचा उठाया जायगा जिससे कि सिंचाई हो सके।

एक सदस्य:--केवल मरम्मत में कितना रुपया खर्च हुआ है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--इसके लिये नोटिस की जरुरत थी।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-जहां तक मुझे सूचना मिली है इस बंध की मजबूती में खतरा रहता है; क्योंकि इसकी पाल में सिर्फ मिट्टी लगी हुई है कोई ठोस काम नहीं हुआ है। क्या इरीगेशन अधिकारियों का फर्ज नहीं था कि गवर्नमेन्ट को इस सम्बन्ध में सूचना देते ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--इस बंध की मजबूती के लिए गवर्नमेण्ट ने एक लाख रुपया लगाया है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या इसकी कमजोरी के बारे में गवर्नमेन्ट के पास कोई सूचना नहीं थी ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--ऐसा मालूम नहीं है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--में माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे मंत्री महोदय की व्यक्तिगत जानकारी से संतोष नहीं है। क्या गवर्नमेन्ट के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी?

श्री भोगीलाल पण्ड्या:--गवर्नमेन्ट के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी यदि होती तो इसे टूटने ही क्यों दिया जाता ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--टूटने के कई कारण हो सकते हैं ?

श्री खेतसिंह:--क्या यह सच है कि एक लाख रुपये लगने के बाद फिर नहीं टूटेगा।

प्रश्न संख्या १५

(45/S) **Shri Inder Nath Modi, M. L. A.** *Div. No. 62* (*a*) Whether the Minister for Customs is aware that Government of India have raised the rate of Income Tax from the people of Rajasthan to 60% of the rates in force in the rest of India for the Current year ?

(*b*) Whether the Minister for Customs is aware that according to financial arrangements made with the Government of India Customs tax is required to be abolished by the year 1953 ?

(*c*) What measures, if any, the Government of Rajasthan have taken to afford gradual reduction in the incidence of the Customs duty chargeable in Rajasthan during the last two years ?

श्री भोलानाथ:-(ए) हां (बी) हां (सी) आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए अब तक इस पर विचार नहीं किया गया ।

श्री इन्द्रनाथ:--क्या गवर्नमेन्ट का कर्तव्य नहीं था कि इस महत्वपूर्ण मसले पर तीन वर्षों से कोई विचार करती ?

श्री भोलानाथ:--जैसा कि मैंने अर्ज किया, जैसी आज तक स्थिति बनी हुई है राजस्थान सरकार के लिये आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार करना संभव नहीं था । यह निश्चय फेडरल फाइनेन्शियल इन्टीग्रेशन के सिलसिले में जो फाइनेन्स कमीशन नियुक्त किया गया है, उसने किया है । यह कमीशन यदि हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा तो हम इस पर विचार कर सकेंगे ।

श्री जसवंतसिंह:--यदि पांच साल में फाइनेन्शियल एग्रिमेन्ट के अनुसार कस्टम ड्यूटी उठानी पड़ेगी तो क्या सरकार दूसरा तरीका सोचेगी ?

श्री भोलानाथ:--जैसा उचित होगा किया जायगा ।

प्रश्न संख्या १६

(46/S) **Capt. Sajjan Singh M. L. A.** *Div. No. 132.*—Will the Finance Minister be pleased to state:—

(*a*) What is the incidence of expenditure in terms of money which the Government have to incur on pensions of those retiring Government employees who have put in 25 years of service but have not attained the age of 55 ?

(*b*) How much does it cost the Government to employ fresh hands or promoted ones in their places ?

श्री नाथूराम मिर्धा (अर्थ मंत्री):–अध्यक्ष महोदय, आम तौर से सर्विस रूल्स के मुताबिक गवर्नमेन्ट सरवेंट ५५ साल के बाद रिटायर होता है। लेकिन हमारे राजस्थान सर्विस रूल्स में यह बात है कि जिस आदमी को २५ साल नौकरी करते हो गये हैं उसको सरकार नोटिस देकर निकाल सकती है। लेकिन यह शर्त खास अवसरों पर काम में लाई जाती है; जैसे या तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट खास कारण से एफिशियेन्सी (योग्यता) के स्तर से गिर गया हो या उस आदमी की सेवाओं को राजस्थान के लिये जरूरी नहीं समझा गया हो, ऐसे ही आदमियों को रिटायर किया जाता है। ये केसेज रेअर (बिरले) हैं। इनके फाइनेन्शियल फिगर्स मामूली हैं और हमारे पास अंतिम आंकड़े इसके तैयार नहीं हैं; ये नेग्लिजिबल हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–हमको एक फिगर चाहिये। ये नेग्लिजिबल हैं या अधिक इससे कोई मतलब नहीं है।

Mr. Speaker:–The Hon'ble Member has said that the figure is negigible and therefore not accountable. If it is still desirable to have a discussion, the house can raise a discussion.

श्री सज्जनसिंह:- दी क्वश्चन हेज नोट बीन आन्सर्ड (प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–दी क्वश्चन हेज नोट बीन आन्सर्ड।

श्री नाथूराम मिर्धा:–अर्थ विभाग में इसके कोई अलग आंकड़े नहीं हैं। सारे महकमों से अलग २ डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद ही मालूम हो सकता है और अलग २ महकमों से डिटेल्स कलेक्ट करने में ४–५ महीने लग सकते हैं।

श्री जसवंतसिंह:–ऐसी छोटी बातों के फिगर्स मालूम करने में ४–५ महीने लग जायेंगे तो क्या गवर्नमेन्ट यह समझती है कि उसकी योग्यता सराहनीय है?

श्री अध्यक्ष-–ऑर्डर! ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७

(47/S) Capt. Sajjan Singh M .L. A. *Div. No. 132*:–Will the Minister in-Charge Transport be pleased to place before the House a copy of Resolution No. 116 dated 17/18-3-52, passed by the Regional Transport Authority, Jaipur, and let this House know the circumstances under which Shri Mool Chand Gupta of Mathura was granted temporary extension by R. T. O., Jaipur to ply his bus on Alwar-Mathura Route?

श्री भोलानाथ:--उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि रखने की व्यवस्था कर दी गई है। मूलचंद गुप्ता को जो परमिट दिया गया उसका कारण यह था कि जो दूसरे दो व्यक्ति थे वे दो महीने तक नहीं आये; इसलिये पहले व्यक्ति मूलचन्द को एक्सटेन्शन दी गई।

श्री देवीसिंह:--क्या जनता के नाम से जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उनकी तहकीकात की जाती है ?

श्री भोलानाथ:--वेहिकल्स एक्ट पढ़ेंगे तो आप को मालूम हो जायगा कि इस एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है। आर. टी ओ. खुद इसके बारे में देखते हैं। नियमानुसार सारी कार्यवाही की जाती है। यदि असन्तोष हो तो आगे अपील भी की जा सकती है।

श्री गोपीनाथ यादव:--यदि १०० एप्लीकेशन्स आती हैं तो उनमें से ४ की तहकीकात की जाती है। क्या यह मंत्री महोदय को मालूम है ?

श्री भोलानाथ:--इसका जवाब तो आर० टी० ओ० ही ठीक तरह से दे सकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह:--यदि किसी महकमे के मुत्तल्लिक सवाल है तो क्या सेक्रेटरी जवाब देंगे ?

श्री भोलानाथ:- आर. टी. ओ. एक सब जुडिशियल बोडी है। उसके नियम जिस तरह के बने हुए हैं उसके अनुसार वह कार्य करता है। वेहिकल एक्ट के अंतगर्त गवर्नमेन्ट जांच नहीं करती।

श्री देवीसिंह--जब एक महकमा आपके अन्डर में है तो उससे ताल्लुक रखने वाले प्रश्नों का उत्तर तो आपको देना चाहिये।

Mr. Speaker - The R. T. O. is a statutory body and every decision taken by that body is appealable.

प्रश्न संख्या १८

(48/S) **Shri Hari Krishna Vyas M. L. A.** *Div. No. 160*:—Will the Finance Minister be pleased to answer:—

(*a*) What is the amount of money drawn as T. A. Bills by the following Ministers respectively, on account of tour in the end to and from the Kishangarh Sub-division, between the 20th July, 1952 and the 30th August, 1952 ?

(*b*) Has the Accountant-General verified that these tours were for *bona-fide* Governmental work ?

(c) Is the Government in a position to state any special reason for which these Ministers were needed to be present in that area between just these dates?

Names of Ministers in respect of whom the above information is sought.: 1. Shri Mohanlal Sukhadia; 2. Shri Ram Karan Joshi; 3. Shri Tika Ram Paliwal; 4. Shri Nathuram Mirdha.

श्री नाथूराम मिर्धा:--रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने १२ रु. ८. आ. भत्ते के २ और ३ तारीख को किशनगढ़ के दौरे के सिलसिले में उठाये थे और उनका वह दौरा किशनगढ़ के लिये नहीं था बल्कि जब वापिस जयपुर आ रहे थे तो बीच में एक दिन के लिये किशनगढ़ में ब्रेक किया था । माननीय श्रम मंत्री का दौरा दो दिन का किशनगढ़ का है और उन्होंने १२. रु. ८. आ. किशनगढ़ के दौरे के २७ तारीख के उठाये है और २८ तारीख के १२ रु ८ आ. उठाये हैं। दो अन्य मंत्री चीफ मिनिस्टर साहब और मैंने, कोई भत्ता उन तारीखों के बीच में नहीं उठाया है । ये बिल एकाउन्टेन्ट जनरल के सामने पोस्ट ओडिट के लिये जायेंगे और वे पड़ताल करेंगे कि ये दौरे वास्तव में सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में हुए हैं या नहीं । जो दौरे हुए हैं और जिन्होंने भत्ते उठाये हैं वे दौरे सरकारी कार्य के लिये ही हुए हैं ।

श्री जसवन्तसिंह:--क्या हम यह समझें कि इस अर्से में माननीय मंत्रियों ने किशनगढ़ या किशनगढ़ के इलाके में दौरे किये हैं वे सरकारी मोटरों में दौरे किये गये हैं ? मुमकिन है कि उन्होंने भत्ता नहीं लिया हो लेकिन सरकारी मोटरों में तो वे गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--माननीय सदस्य का सवाल साफ नहीं है । किस मिनिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री जसवन्तसिंह:--क्या आप लोगों ने सरकारी गाड़ियों से किशनगढ़ के दौरे किये हैं और टी. ए. नहीं लिया है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास:--मुझे 'सी' का उत्तर नहीं मिला । ऐसा क्या खास कारण था जब कि सब मिनिस्टर इसी क्षेत्र में पहुंचे ? क्या सरकार को पता है कि उनके पब्लिसिटी विभाग ने इस बात को प्रकाशित किया है कि उक्त दिन मंत्रियों के दौरे किशनगढ़ में होंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा:--क्योंकि पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा था इसलिये हम लोग पार्टी की जीपों में बैठ कर गये थे ।

Shri Indranath Modi:—We think the question is not being answered.

Mr. Speaker:—Partially it has been replied to.

Shri H. K. Vyas:—The position with regard to T. A. was true, but I am asking whether any Minister toured in that area. Notices have been published by the Publicity Department. That means they were supposed to go there on Government business.

श्री जसवन्तसिंह:—क्या सरकार इस बात की इन्क्वायारी कराने के लिये तैयार है।

Shri H. K. Vyas:—Will the Hon'ble Minister state whether these tours were for party purposes and whether Government cars were used

Shri Nathu Ram Mirdha:—No Government cars were used, when the Minister toured the area were on election work. But on inspection work Government cars were used and T. A. was drawn.

Shri H. K. Vyas:—The Hon'ble Minister is not prepared to say that they either toured the area nor he is prepared to say that they did not tour the area. He sometimes says that the tours were for party purposes and sometimes for Government inspection work. I would like to know whether they had inspection work in that area when they toured that area, and whether Government cars were used or not.

Mr. Speaker:—Order ? Order ?Questionsa re meant only for asking information and not for discussions. If any members want to raise a discussion on any question, because the reply is considered insufficient, they can raise a discussion on that question. It is not desirable to have discussions during question hours.

प्रश्न संख्या १६

Shri Hari Krishna Vyas:—Will the Chief Minister be pleased to answer:

(*a*) Is the Government aware of the fairly widespread practice of Government servants availing of free passes in the buses and the cinemas ?

(*b*) Is the Government aware that the practice is the most common in the Police Department ?

(*c*) Is the Government aware that this facility is not entirely voluntary ?

(*d*) Is the Government intending to issue directions to make availing of such free passes as an offence or a breach of the Government Servants Conduct Rules ?

Shri Tika Ram Paliwal.:—(a) No.

(b) No.

(c) Acceptance of facilities for admission is already treated as corrupt practice. If any instance is brought to our notice, it will be enquired into and action taken.

Shri H K. Vyas: –Will the Government issue a circular, as the U. P. Government have done, to clarify the point?

Shri Tika Ram Paliwal:—There is already a Government circular on the point.

Mr. Speaker:—The time is over. Except the replies which the Revenue Minister is to give to questions, all replies and questions will be laid on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

We adjourn now for tomorrow at 8.30 A. M.

(इसके पश्चात् सदन १२-३० बजे, ८ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० के प्रात: काल ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

सभा भवन,
जयपुर,
७ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर.

परिशिष्ट १

अतारांकित प्रश्न

(सदन की मेज पर रखे गए)

प्रश्न संख्या १

श्री खेतसिंह:--क्या माननीय राजस्व मंत्रीजी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:-

(अ) शेरगढ़ तहसील में पैमायश का काम कब शुरू होने वाला है ?

(ब) शेरगढ़ के रेगिस्तानी इलाके पर बीघोड़ी क्या लगेगी ?

(स) शेरगढ़ में कोसों तक पड़े हुए गोचरों पर भी क्या बिघोड़ी लगाई जायगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. The Settlement Operations in Tehsil Sergarh will start in the year 1953-54.

2. As assessment of rent is made at the end of survey and soil classification operations, the rate of assessment in this Tehsil can not be pre-estimated.

3. Rent is assessed on the occupied area in possession of the cultivators and not in the land set apart for grazing purposes.

प्रश्न संख्या २

श्री खेतसिंह:--क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) राजस्थान में जल पीड़ित-इलाकों के जल पीड़ा-निवारण के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

(ब) शेरगढ़ तहसील में जल व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

(स) सरकार शेरगढ़ में नये कूए खुदवाने के लिये तथा जल-कष्ट को दूर करने के हेतु टांकों के लिये कुछ रकम दे रही है या नहीं ? यदि हां तो, कितनी और किस अवधि में ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(a) The Rajasthan Government have sanctioned a sum of Rs. 6,11,000/- in the current year's budget for the various water supply schemes as per list attached. In addition to this a sum of Rs. 10,00,000/- has been sanctioned by the Government of India under the Federal Feinancial Integration agreement and has been placed at the disposal of the Village Panchayats for the improvement of Rural-Water-supply. The schemes for the utilisation of this sum have been submitted to the Government of India.

(b) Government have recently placed at the disposal of the Commissioner, Jodhpur a sum of Rs. 10,000/- this year and this same will be utilised for improvement of water-supply at Shergarh.

(c) Reply to this is covered by replies to parts (a) and (b) supra.

List of Water Supply Schemes, referred to in reply to unstarred Question No. 2. U. S. received from Shri Khet Singh M. L. A. Rajasthan.

			Rs.
1.	Skeleton Water Supply Scheme at	Barmer ..	7,500
2.	do –	Nagaur ..	5,000
3.	,,	Jalore	7,500
4.	,,	Raisinghnagar	2,650
5.	,,	Chittorgarh	6,250
6.	,,	Merta ..	6,500
7.	,,	Nathdwara ..	6,250
8.	,,	Rihabdeo ..	6,250
9.	,,	Jaisalmer ..	8,100
10.	,,	Nathdwara	5,000
11.	,,	Partapgarh ..	35,000
12.	Reserve Water Works Scheme ..		5,000
13.	Banswara Skeleton Water Supply ..	..	20,000
14.	Meter and Minor connection ..	..	20,000
15.	Improvement of Water Supply at Jodhpur	..	15,000
16.	Skeleton Water Supply Scheme Bhilwara	..	55,000
17.	Improvement to Water Supply Scheme, Bikaner Division (Rural area). ..	..	2,00,000
18.	Udaipur Water Supply Scheme ..	..	2,00,000
		Grand Total	6,11,000

प्रश्न संख्या ३

श्री खेतसिंह:–क्या माननीय शिक्षा मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) क्या शेरगढ़ तहसील में १ लाख व १९ हजार की आबादी पर सरकार कोई हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और कितनी अवधि में ? यदि नहीं तो क्यों ?

(ब) क्या बालेसर गांव में जहां हाई स्कूल के लिए तहसील के लोगों ने अपने चन्दे स इमारत तैयार करवा दी है सरकार कोई स्कूल बनाने के विषय में नहीं सोच रही है ?

उत्तर

(a) There is no such proposal under the consideration of the Government at present. Due to financial stringency there is no budget provision for expansion of High Schools in Rajasthan during this year

(b) The question will be thoroughly examined when the Government will be in a position to start High Schools in Rajasthan.

प्रश्न संख्या ४

श्री खेतसिंह:–क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(अ) पंचवर्षीय योजना में जोधपुर विभाग की कौन कौन सी सड़कें तैयार की जायंगी ?

(ब) जोधपुर से जैसलमेर को मिलाने वाली एक मात्र सड़क को पक्का सड़क बनाने के मुतल्लिक सरकारी योजना है या नहीं ? यदि है तो वह सड़क कब तैयार होनी शुरू हो जायगी। यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(a) The following is a list of road works to be undertaken in the five years plan in the Jodhpur area:

(1) Metalled Road from Jodhpur to Augolai on Jodhpur Shergarh Road (Pokaran).

(2) Bitumen treatment to the bad miles of Beawar-Pali-Jodhpur road cross drainage works inluding road in Sojat Road.

(3) Metalling Jodhpur--Nagaur road.

(4) Gravel Road Mokalsar, Jalore, Bhinmal, Raniwara.

(5) Metalling Road from Pokaran to Jaisalmer.

(6) Gravel road Kolayat, Bap, Phalodi, Pokaran.

Additional Items.

Metalling Road from Jodhpur to Nimaj via Jaitaran.

Metalled Road from Jodhpur to Pokaran.

b) The scheme for constructing a Pucca Road from Jodhpur to Jaisalmer is already included in the five years Road programme and the work will be taken in hand as soon as the plan is approved and funds allotted.

प्रश्न संख्या ६

श्री खेतसिंह:—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:—

(अ) राजस्थान में कितनी जन संख्या पर एक अस्पताल खोलने की सरकार की नीति है ?

(ब) क्या १ लाख १९ हजार की आबादी पर एक अस्पताल जो भी डिस्पेन्सरी हो, सरकार जनता के इलाज के लिये काफी समझती है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं तो सरकार शेरगढ तहसील में कोई अन्य स्थान पर अस्पताल खोलने के विषय में सोच रही है ? यदि हां, तो कहां ?

उत्तर

(a) It is proposed to have dispensaries for places having population of 5000 and above

(b) (i) The answer to the first part of the question is in the negative.

(ii) This does not arise.

(iii) Government do contemplate covering all places with a population of 5000 souls or over with a medical aid institution but due to financial stringency all development schemes have to be held over.

प्रश्न संख्या ६

श्री सरदारसिंह:—क्या बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) बैकवर्ड क्लास वेलफेयर के हेतु कितना-कितना, कहां-कहां और किस-किस रूप में खर्च होता है ?

उत्तर

A sum of Rs. 6,70,000/- is being spent in the current year in the Scheduled Areas. This amount has been received as grant-in-aid from the Government of India under article 275 (1) of the Constitution. The amounts to be spent on the various schemes are as below

I Educational development.

1. For 33 new primary Schools	Rs. 90,000/- (items 1–5)
2. For 50 adult night Schools	
3. For Industrial trainidg	
4. Scholarship.	
5. Training Camp of Teachers.	

II Economic Uplift

1. Palm gur development ..	20,000/-
2. Development of-Cooperation ..	23,000/-

III. Productive Schemes.

1. Aid for construction of wells for irrigation purposes ..	2,10,000/-
2. Construction of small dams for irrigation purposes ..	1,07,000/-
3. Construction of culverts and small bridges on Nalas and rivers ..	50,000/-
4. 50 new Primary schools to be started in the Scheduled Areas ..	41,460/-
5. Propaganda materials and medicines	19,950/-
6. Additional grant to Voluntary agencies	1,00,000/-
Total ..	6,62,410/-

Note:—Sanction about the remaining amount out of the grant-in-aid has not been communicated so far.

In addition, a sum of Rs. 2 lakhs will also be mad eavailable for giv ng grant to the members of Scheduled Tribes for the constructions of wells for irrigation purposes in the Scheduled Areas.

The other important items on which amount is spent for the amelioration of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes are mentioned below—

(1) Grant-in-aid to voluntary agencies which are working for the welfare of Scheduled Tribes and Scheduled Castes ..	Rs. 1,40,000/-
(2) Scholarships to Backward Classes	97,000/-
(3) Maintenance of 10 Government Hostels for Backward Classes	89,950/-
Total ..	3,26,950/-

Note:—The following voluntary agencies have been given grants-in-aid for doing the welfare work for Scheduled Tribes and Scheduled Castes for the year 1951-52. The grants-in-aid are given at 75% of the admitted expenditure as payable under the existing rules:—

	1951-52 Amounts.
(1) Kharitat Sarvodaya Sangh, Kotia Shahpura	Rs. 1,668/11/-
(2) Gandhi Asharam Kushalgarh ..	2,999/12/-
(3) Rajasthan Seva Sangh, Dungarpur	68,004/14/6
(4) Banswara Jeela Seva Sangh, Pratapur	21,563/11/-
(5) Harijan Sevak Sangh, Udaipur .	5,285/5/-
(6) Shant Seva Kuti, Banswara ..	2,250/-
(7) Adivasi and Harijan Seva Samiti Pratapgarh ..	730/4/9
(8) Seva Sangh Begod	475/12/3
(9) Harijan Sevak Sangh, Alwar ..	717/12/3
(10) Shri Krishna Chhatralaya Sikar ..	6,299/10/-
(11) Shri Harijan Sevak Sangh, Ganganagar	600/-
(12) Gandhi Yidyalaya, Surajgar	1,593/7/-
(13) Adivasi and Harijan Seva Samiti Kotah	2,447/1/-
Total ..	1,13,635/11/-

Expenditure on the Supervisory Staff of the Backward Classes Welfare Department is as below

(1) Pay of officers and establishment including their D. A. etc.	93,860/-
(2) Other office expenditure etc.	10,800/-
Total ..	1,04,660/-

प्रश्न संख्या ७

श्री राजराजा सरदारसिंह:--क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(अ) ठिकाना उनियारा व दूनी के प्रारम्भ से (१९४८) अब तक डी. बी. सैस के रूप में कुल कितनी आय हुई और क्या क्या खर्च हुआ ?

(ब) ठिकाना उनियारा व दूनी से जनहितार्थ स्थानीय क्या क्या कार्य किए गए और कुल कितना कितना खर्चा हुआ ?

(स) इन जन हित कार्यों का चुनाव व सर्फा किस प्रणाली से किया जाता है स्थानीय जनता व तहसीलों को इनकी देख रेख में कोई अधिकार रहता है या नहीं ?

(द) ठिकाना उनियारे में डि० बोर्ड ने क्या कोई कार्य किया है, और इनमें क्या प्रजा की सलाह ली गई थी ?

उत्तर

(अ) ठिकाना उनियारा से, सन् १९४८ से २४-३-५२ तक कुल ४४,५१६ रु० ९ आना० ६ पा० सैस की आय हुई है, इसी प्रकार ठिकाना दूनी से प्रारम्भ से ३-८-५१ तक ११,७६७ रु० ६ आ० सैस की आय हुई है। और दोनों ही ठिकानों में प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त १ सितम्बर सन् १९५२ तक ८,२५० रु० १० आ० और २,२५४ रु० ५ आ० ६ पा० क्रमशः व्यय हुआ है।

(ब) (१) ठिकाना उनियारा में जन हितार्थ नौ गांवों में बोर्ड की ओर से वाचनालय चालू हैं जिनमें एक प्रति दैनिक व एक प्रति साप्ताहिक लोकवाणी व अमरज्योति पत्र भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ३ स्थानों पर प्रौढ़ या प्राथमिक पाठशालायें चालू हैं। इसमें अप्रेल सन् ५२ तक ८७५ रु० १३ आ० ९ पा० व्यय किया जा चुका हैं। इसके अरिरिक्त ककोड़ व बनेठा में बोर्ड की ओर से दो आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुए हैं जिनमें १ सितम्बर ५२ तक कुल २३,२६५ रोगी लाभ प्राप्त कर चुके हैं इसमें १ सितम्बर १९५२ तक वेतन में २,९९३ रु० १२ आ० ३ पा० व लगभग १२२४ रु० औसतन औषधियों में व्यय हो चुका है।

इसके साथ साथ ग्राम बालीथल में नाडी की मरम्मत, उनियारा में ठाकुर का कुंआ व घेर की नाडी तथा बनेड़िया में कुए की मरम्मत का कार्य बोर्ड द्वारा किये जा चुके हैं, जिसमें अब तक कुल ३,१५७ रु० व्यय किये गये हैं। इनके अतिरिक्त उनियारे में ठाकुर की नाडी, चतरपुरा में नाढी की खुदाई व ककोड़ में तालाब की मरम्मत के लिये ३००० रुपये की स्वीकृति है जो वर्षात की वजह से पूरे नहीं किये जा सके हैं।

(२) इसी प्रकार ठिकाना दूनी में तीन स्थानों पर वाचनालय व दूनी खास में एक औषधालय चालू है जिसमें अप्रेल ५२ तक २०८ रु० १४ आ० ६ पा० और १ सितम्बर १९५२ तक २,०४५ रु० ७ आ० क्रमशः व्यय हो चुके हैं।

(स) सम्बन्धित जनता या सदस्य महोदय द्वारा किसी जन हित के कार्य का प्रस्ताव बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त होने पर पूर्व में उस पर सम्बन्धित सदस्य की सम्मति ली जाती है। फिर उस सम्मति के साथ उस प्रस्ताव को सम्बन्धित विषय की बोर्ड की उपसमिति में पेश किया जाता है। बाद में उसकी सिफारिश के अनुसार उस प्रस्ताव को बोर्ड के अधिवेशन में रखा जाता है जहां पर उसका अन्तिम चुनाव होने पर कार्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार उस प्रस्ताव की पूर्ति के लिये व्यय किया जाता है। स्थानीय जनता व तहसीलों का इसमें कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता है पर वे निज की ओर से देख रेख रख सकते हैं और यदि कोई अनुचित बात देखें तो बोर्ड में लिख सकते हैं, जहां पर ऐसी बातों की उचित जांच की जाती है।

(द) ठिकाने उनियारे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ऊपर लिखित शिक्षा, स्वास्थ्य व निर्माण कार्य किये हैं और इनमें उनियारे की प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की राय नियामानुसार ली गई है।

प्रश्न संख्या ८

श्री रावराजा सरदारसिंह:--क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(क) राजस्थान में गत वर्ष काश्तकारों को तकाबी व अकाल सहायता देने के लिए सरकार से कुल कितनी कितनी रकम स्वीकृत हुई थी और उसमें से कितने काश्तकारों को कितनी कितनी रकम बांटी गई, और हर एक जिले में कितनी कितनी दी ?

(ख) जिला टोंक के लिए क्या रकम रखी गई थी, और इसमें से कितनी कितनी व कितने कितने काश्तकारों को रकम वितरित की गई ?

(ग) तहसील अलीगढ़ व ठिकाना उनियारा के काश्तकारों के लिए अलग अलग कितनी रकम तकाबी के लिए मंजूर की गई व कितनी कितनी रकम तकाबी में दी गई है, क्या कोई रकम बची है ? अगर बची है तो उसका किस तरह उपयोग किया गया ?

उत्तर

Rs. 54,00,000/- were provided in the budget of the years 1951-52 and 1952-53 for Taccavi to be distributed in the Famine scarcity areas of Rajasthan. Out of which Rs. 52,00,000/- are estimated to have been spent. A statement showing districtwise allotment is attached herewith.

Information regarding number of cultivators and amount paid to each of them is being collected from Collectors.

2 & 3 —Rs. 1,00,000/- were sanctioned for Taccavi distribution in Tonk District out of which Rs. 45,000/-were allotted to Tonk and Aligarh (including Uniara) Tehsils. Rs. 24,950/- were distributed in Tonk and Aligarh including Uniara Thikana Tehsils. The remaining amount was not distributed due to lack of demand for the same.

Statement showing district-wise allotments of Taccavi

S. No.	Name of District.	Amount allotted
		Rs.
1	Bikaner	1,10,000
2	Churu	5,78,000
3	Ganganagar	5,50,000
4	Udaipur	5,00,000
5	Chitor	2,30,000
6	Bhilwara	2,25,000
7	Dungarpur	2,45,000
8	Banswara	3,17,000
9	Jaisalmer	37,000
10	Nagaur	85,000
11	Barmer	1,00,000
12	Pali	2,75,000
13	Jalore	1,30,000
14	Jodhpur	1,60,000
15	Sirohi	80,000
16	Jaipur	3,00,000
17	Tonk	1,00,000
18	Sikar	85,000
19	Alwar	57,000
20	Jhunjhunu	1,25,000
21	Sawai-Madhopur	1,20,000
22	Kotah Division	7,75,000

प्रश्न संख्या ९

श्री रावराजा सरदारसिंह:-क्या पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

घास इलाका टोंक से उनियारा अलीगढ़ होती हुई सवाई माधोपुर तक सड़क बनाने की योजना विचाराधीन है ? अगर है तो सरकार इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर देगी ।

उत्तर

The work of road from Tonk-Uniara-Sawai Madhopur via Aligarh has been included in the supplementary list of Five Years Road Plan works. The work is likely to be taken in hand in the year 1954-55 in case Government of India approves extra grants.

प्रश्न संख्या १०

श्री नारायण चतुर्वेदी (वि. सं. १०९):-क्या श्री शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

चुनावों के बाद नई सरकार बनने पर राजस्थान के किस किस जिले में कितने स्कूल खोले गये और उनके खोलने का क्या आधार सामने रक्खा गया ?

उत्तर

Since the formation of the present Ministry no new schools have been opened except the following three institutions.—

(1) Bhinasar High School.

(2) Government Intermediate College, Tonk, and

(3) Government Intermediate College, Sirohi.

1. The Bhinasar High school was started because the bu - ding was donated by Seth Champa Lal Banthia, who has also given a donation of Rs. 25,000/- for meeting the recurring expenses for the next three years.

2 and 3 have been started because with a radius of 50 miles from Tonk or Sirohi no Intermediate College exists and the local inhabitants have been demanding for a long time the establishment of Intermediate Colleges in these areas. Besides, the previous Government had committed themselves for starting Intermediate Classes.

प्रश्न संख्या ११

श्री नारायण चतुर्वेदी:-क्या श्री निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) चुनावों के बाद राजस्थान के किस किस जिले में कितनी कितनी लम्बी सड़कें बनने का काम शुरू हुआ?

(ब) राजस्थान में सबसे कम सड़कें किन किन जिलों में है?

(स) जो नई सड़कें इन दिनों बनी उनकी जरुरत किस आधार पर ख्याल की गई?

उत्तर

(a) The length of road completed after the Elections is given district-wise in the enclesure. All these works were in progress prior to Elections.

(b) Following are the districts which have got very little road mileage:—

1. Jaisalmer.
2. Sikar.
3. Jhunjhunu.
4. Chooru.
5. Bikaner.
6. Ganganagar.
7. Banswara.
8. Bhilwara.
9. Chittor.

(c) In formulating the road schemes, the aspects that have been considered are:—

(1) Administrative and strategic importance.

(2) Opening up of a country which has potentialities of agricultural, Commercial and Industrial development.

After the Elections of 1951 the work of Construction of the following Roads has been taken up and is in progress.

Bharatpur District.—

1. Bharatpur-Bayana Road ..	2 Miles
2. Road in new Mandi Bharatpur ..	1½ „
3. Metalling Nadbai Road ..	1½ „
4. Road from Busawar to Chokar wala	1 Mile

Alwar District.—

1. Alwar-Bheror Road	2 Miles.
2. Road from Baorda Meo to Laxmangarh	Work started recently.

Dholpur District.

1. Dholpur Rajkhera Road ..	Collection in a length of 10 miles completed.

Note:—In addition to the above about 15 miles of Road in Alwar and Bharatpur Districts have been surface painted.

Jaipur District—

1. Metalling Kishangarh-Rupnagar Road	2 Miles completed, collection completed in 4 miles.
2. Jaipur-Chomu Road ..	Collection completed in 2 miles, Soiling laid in 2 miles.
3. About 25 miles of roads have been surface painted in Jaipur District.	

Udaipur District—

1. Nathdwara Rly. Station to Town	..	2 Miles.
2. Udaipur-Chittor Road ..	..	,,

Dungarpur District—

1. Dungarpur-Ratanpur Road	..	2 Miles

Chittor District—

1. Kushalgarh-Udaipur Road	..	,,

Bhilwara District—

1. Shahpura-Mandal Road.	..	,,

Jhalawar District—

1. Pachpahar-Dug Gangdhar Road	..	1½ Miles.
2. Sironj-Dateri Road .. 5 Miles of road in Kotah Distt. painted	..	2 Miles.

Bikaner District—

1. Improvement to Gajner-Kolayat Road		5 Miles.

Ganganagar District—

1. Ganganagar-Padampura Road		6 Miles.

Barmer District—

1. Gravelling of Sindhari-Sanchore Road		Gravelling work in hand. Total work to be done 50 miles.

Jodhpur District—

1. Jodhpur-Nagaur Road ..	..	Metal collection in hand, and consolidation started.
		Total length to be done 40 miles.

प्रश्न संख्या १२

श्री नारायण चतुर्वेदी:-क्या श्री स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) चाकसू पंचायत का चुनाव दो बार क्यों कराया गया ?

(ब) दुबारा चुनाव होने के बाद भी नई पंचायत को चार्ज संभलाया गया था या नहीं ?

(स) नहीं संभलाया गया तो क्यों?

(इ) क्या राजस्थान में अन्य स्थानों पर भी ऐसी नगरपालिका या पंचायतें हैं, जिनके चुनाव हो गये लेकिन उनका नाम न तो गजट में छपा, न उन्हें चार्ज दिलवाया गया ?

(ई) नहीं दिलवाया गया तो क्यों ?

उत्तर

(अ) चाकसू ग्राम पंचायत का दुबारा चुनाव इसलिए करवाया गया क्योंकि जांच के पश्चात् ज्ञात हुआ कि प्रथम चुनाव मे उपक्षेत्र बनाने व पंचों की संख्या निर्धारित करने में व चुनाव कराने में भिन्नता होने से त्रुटि रह गई थी ।

(ब) यह सही नहीं है कि दुबारा चुनाव होने के पश्चात् नई पंचायत को चार्ज नहीं सम्भलाया गया। तारीख १६-८-५२ को दूसरा चुनाव हुआ था और ८-९-५२ को चुनाव की स्वीकृति हो चुकने के पश्चात् चार्ज भी सम्भलवा दिया था ।

(स) "ब" का उत्तर देने के पश्चात् यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(इ) राजस्थान में अन्य स्थानों पर ऐसी कोई पंचायत या नगरपालिका नहीं है जिनके चुनाव हो चुकने के बाद उनके नाम गजट में प्रकाशित न करवाए गये हों अथवा उन्हें चार्ज न दिलवाया गया हो । कई बार चुनाव के सम्बन्ध में शिकायतें आजाने पर यह आवश्यक हो जाता है कि स्वीकृति देने के पूर्व शिकायतों की सही तौर पर जांच करवाना आवश्यक होता है जिससे ही विलम्ब हो जाता है ।

(ई) "इ" का उत्तर देने के पश्चात् इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती ।

प्रश्न संख्या १३

श्री नारायण चतुर्वेदी:—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में निर्णय देने के लिये जो कमेटी कई साल पहिले बनी थी, क्या अब भी वही चल रही है ?

(ब) क्या उस कमेटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सरकारी अधिकारी होने के कारण कभी राजस्थान से ताल्लुक था लेकिन दूर चले जाने पर भी कमेटी के मेम्बर हैं ?

(स) क्या इस कमेटी को समय के अनुसार बदलने का विचार है ?

(द) क्या इसमें धारा सभा के सदस्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जावेगा ?

उत्तर

1. The answer is in affirmative.
2. The answer is in affirmative but there is only one such member and he is an emminent experienced educationist and is at present residing in Rajasthan.
3. The answer is in affirmative.
4. The Government will consider.

प्रश्न संख्या १४

श्री नारायण चतुर्वेदी:—क्या शिक्षा मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) बी० टी० सी० तथा पी० टी० सी० पास अध्यापकों का वेतन रिफ्रेशर कोर्स पास करनेवाले अध्यापकों से कम है, जब की उनकी योग्यता और पढ़ाई का समय अधिक है ?

(ब) क्या इस असमानता को दूर करने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है ?

उत्तर

In the covenanting State of Jaipur there was one year's training for teachers known as P. T. C. and two years' course of training known as V. T. C. on the formation of State of Rajasthan, the department of Education commenced short training course of 2 months for primary teachers. It is just possible that there might be a few cases in which these short course training teachers might be getting a higher salary than P.T.C. or V. T. C. teachers. But this is due to fixation having not been completed as yet. These inequalities and anomalies where they exist will be removed on the completion of fixation.

प्रश्न संख्या १५

श्री नारायण चतुर्वेदी:—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

कितने अन्ट्रेन्ड अध्यापक व अध्यापिकायें ऐसे स्थानों पर काम कर रहे हैं जहां ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत है ? और ठीक उसी प्रकार कितने ट्रेन्ड अध्यापक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, जहां अनट्रेन्ड टीचर्स भी चल सकते हैं ?

उत्तर

The trained teachers are required for every school, but at present their number is about 12%. Trained teachers are not and cannot be unnecessary in any school.

'परिशिष्ट २

(कृपया पृष्ठ ७४ देखिये)

(वे तारांकित प्रश्न जो कि सदन में उत्तर न दिये जाने के कारण, सदन की मेज पर रखे गए)

11. (23/S) **Shri Abani Kumar, M.L.A.** *Div. No.* 1.—Will the **Minister-in-Charge of Refugee Relief and Rehabilitation** be pleased to state:

(*i*) What is the total amount advanced to the refugee, for Rehabilitation uptil now ?

(*ii*) Whether a part of the loan so advanced has been recovered ?

(*iii*) Whether a large number of Muslims managed to migrate to Pakistan after disposing off their properties—due the lack of vigilance on the part of the department concerned ?

उत्तर

(i) Total amount of loans advanced to displaced persons in whole of Rajasthan upto 31-8-52	Rs. 3,18,77,138-13-0
(ii) Amount of Loan recovered upto June 1952	Rs. 6,18,369-3-3-
(iii) Whether a large number managed to migrate to Pakisthan after disposing off their property due to the lack of vigilance on the part of the department concerned.	This department is not all aware of any such case, in which a Muslim has managed to magrate to Pakistan.

20. (51/S) **Shri Hari Krishana Vyas, M.L.A.** *Div. No.* 160: Will the **Minister-in-Charge for Irrigation Department** be pleased to answer:—

(*a*) Which of the Bunds are reported as damaged due to the last rains ?

(*b*) What is the estimated loss due to such damage in terms of loss of irrigation capacity; and money ?

(*c*) Is the Government satisfied that the damages could not have been avoided ?

(*d*) Is it a fact that information of the initial danger to the Hemawas Bund (near Pali) was sent to the Department days before the next rain which caused the basic damage?

(*e*) What steps is the Government taking for preventing the the recurrence of such damages?

उत्तर

(a) List of major Bunds which breached during last heavy rains is as below:—

Jodhpur Division.

1. Hemawas.
2. Jograwas

Udaipur Division.

1. Mangalwar.
2. Raghunathpura.
3. Maflias.
4. Bhoraj

Jaipur West Division.

1. Sakatpura.
2. Kohara.

Jaipur East Division.

1. Piloda.

In addition to the above, about a dozen small tanks and temporary ring Bunds put for completion of construction failed due to heavy rains, without any appreciable loss.

(b) Approximate loss of Irrigation.—

1. Jodhpur Division.	About 5,000	acres.
2. Udaipur Division.	About 1,500	acres.
3. Jaipur West Division.	About 165	acres.
4. Jaipur East Division.	About 120	acres.
Total	.. 6,785	acres.

Approximate loss of Closing breaches:—

1. Hemawas ..	..	Rs. 1,00,000/-.
2. Jograwas ..	..	Rs. 30,000/-.
3. Udaipur Division (for all the breaches)	..	Rs. 50,000/-.
4. Jaipur West Division	..	Rs. 1,400/-.
5. Jaipur East Division	..	Rs. 11,560/-.
6. Bundi Division	..	Rs. 500/-.
Total..		Rs. 1,93,460/-.

(c) Yes.

(d) No.

(e) There are about 3,500 old tanks in Rajasthan which are in use but a large number of them require heavy repairs, improvements and strengthening which is being carried out as funds are available.

21. (52/S) **Shri Hari Krishana Vyas, M.L.A.** *Div. No.* 160: Will the **Minister-in-Charge of Transport Department** be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that large number of permit holders from the Government in the Jodhpur Division really do not own or possess the vehicles?

(b) Is the Government aware that allegations are freely being made regarding the receipt of such permit holders of amounts varying from Rs. 100 to Rs. 150 per month a royalty over their permits?

(c) Is the Government aware of the deep sense of resentment felt by the common people regarding these matters?

(d) Does the Government propose to institute an impartial enquiry in this matter?

उत्तर

(a) Out of 700 permit holders only 58 have not got vehicles registered in their own names. They are now plying vehicles obtained on hire-purchase. These cases are under scrutiny by R.T.A. Jodhpur.

(b) Government are not aware of any payment of royalties over these permits. A complaint in the matter was, however made to the Chairman R.T.A. and the matter has been enquired into by a Sub-Committee appointed by R.T.A. which has given its report. It will be considered by the R.T.A. at their next meeting.

(c) Yes. The Government have an open mind on the subject. If malpractices are established as a result of the scrutiny, suitable action will be taken against the persons at fault.

(d) As the R.T.A. is already enquiring into the matter Government do not consider the need of instituting any other enquiry.

22. (53/S) **Shri Hari Krishana Vyas, M. L. A.** *Div. No.* 160: Will the **Minister for Public Works** be pleased to answer:—

(*a*) Is the Government aware that the road from Pokaran to Jaisalmer is in extremely bad condition ?

(*b*) Is the Government aware of the persistent demand of the people of Jaisalmer for making this road a metalled one ?

(*c*) Does the Government intend to take this work up in the immediate future ?

उत्तर

The Government is aware of the bad condition of the road from Pokaran to Jaisalmer and of the demand of the people of Jaisalmer for making it a metalled one.

The Government has already included the work of 'Metalling' this road in 5 year road programme at an approximate cost of Rs. 16,00,000/- The work is scheduled to commence as soon as funds are made available by the Government of India.

23. (54/S) **Shri Hari Krishana Vyas, M.L.A.** *Div. No.* 160: Will the **Minister-in-Charge for Agriculture** be pleased to answer:—

(*a*) Is the Government aware that the district authorities in Jaisalmer, after having determined the Government's share of the crops, force the farmers to cart it to Jaisalmer and bear the carting and weighment charges for the same ?

(*b*) Does the Government propose to immediately stop this practice in view of the grave injustice that it means for the farmers ?

उत्तर

This fact was brought to my notice during my last visit to Jaisalmer.

Steps are being taken to stop this practice.